

रोजगार परिदृश्य

(I) श्रमिक बल और रोजगार पूर्वानुमान

5.1 दसवीं योजना के दृष्टिकोण पत्र में, जिसे राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अगस्त, 2001 में अनुमोदित किया गया था, दसवीं योजना अवधि में श्रम बल में वृद्धि के संबंध में लाभप्रद उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार की व्यवस्था निर्धारित की गई थी। दसवीं योजना के आधार वर्ष 2002 में रोजगार की स्थिति के अनुवर्ती आकलन ने दर्शाया है कि बेरोजगारी के बैकलॉग को समाप्त करने के लिए 35 मिलियन रोजगार अवसर सृजित किए जाने की आवश्यकता है। तथापि, दसवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य श्रम बल में होने वाली वृद्धि को अधिक मात्रा में लाभ प्रद रोजगार उपलब्ध कराना है।

रोजगार और बेरोजगार स्थिति में हाल ही की प्रवृत्तियां

5.2 1983-1993/94 और 1993/1994-1999/2000 अवधियों के बीच जनसंख्या वृद्धि में मामूली सी गिरावट आई जो 2.0 प्रतिशत से 1.9 प्रतिशत हो गई। यद्यपि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के विकास में इन दोनों अवधियों के बीच तेजी आई- 5.2 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि से 6.7 प्रतिशत वृद्धि- तथापि, रोजगार वृद्धि की गति, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) रोजगार सर्वेक्षणों के अनुसार धीमी होकर 2.7 प्रतिशत से 1.07 प्रतिशत हो गई (संलग्नक 5.1 और 5.2)। 1990 के दशक में रोजगार वृद्धि में गति में धीमेपन का जनांकिकीय जनगणना डाटा से भी पता चलता है। जबकि मुख्य कामगारों की वृद्धि 2.34 प्रतिशत से कम होकर 0.81 रह गई (संलग्नक 5.3)। रोजगार वृद्धि में कमी की ऐसी ही प्रवृत्तियों का रोजगार के विनिर्दिष्ट घटकों के संबंध में भी पता चलता है- आर्थिक गणना द्वारा कवर की गई संस्थापनाओं में कामगारों की वृद्धि जो 1980-1990 में 2.84 प्रतिशत थी, 1990-1998 में कम होकर 1.71 प्रतिशत रह गई (संलग्नक 5.4)। श्रम मंत्रालय की रोजगार बाजार सूचना पद्धति द्वारा कवर की गई संस्थापनाओं में रोजगार 1983-1994 के दौरान 1.20 प्रतिशत प्रति वर्ष बढ़ा किन्तु वह अगले पांच वर्षों से 1994-1999 के दौरान कम

होकर 0.53 प्रतिशत हो गया। किन्तु, यह बाद वाली कमी मुख्यतः सरकारी क्षेत्रक संस्थापनाओं में रोजगार में कमी के कारण थी, जबकि निजी क्षेत्रक ने विकास की गति में तेजी दिखाई जो 0.45 प्रतिशत से 1.87 प्रतिशत हो गया (संलग्नक 5.5)। इस प्रकार, भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि प्रक्रिया में रोजगार की तीव्रता कम होती जा रही है (संलग्नक 5.6)।

5.3 उत्पादन संवृद्धि की रोजगार तीव्रता में कमी का उल्लेख या तो पूंजी तीव्रता में वृद्धि अथवा श्रमिक उत्पादकता में वृद्धि द्वारा किया जा सकता है, जिससे श्रमिक मुक्त हो जाते हैं। इस अवधि में दोनों ही बातें अंशतः हुईं। वृद्धिकारी पूंजीगत उत्पादन अनुपात (आईसीओआर) में बहुत वृद्धि हुई और पूंजी ने श्रम का भी स्थान ले लिया। दोनों बातें एक ऐसी नीति पर विचार करने का सुझाव देती हैं कि श्रमिक तीव्रता और प्रौद्योगिकियों का पता लगाया जाए।

5.4 सूक्ष्म स्तर पर, श्रम की उत्पादकता में वृद्धि वास्तविक मजदूरी की ऊंची वृद्धि में परिलक्षित होनी चाहिए। इस प्रवृत्ति का कुछ संकेतक तब देखा गया जबकि पूर्ववर्ती अवधि 1983-1994 की तुलना में 1994-2000 के दौरान ग्रामीण आकस्मिक पुरुष श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी में वृद्धि देखी गई (संलग्नक 5.7)। तथापि, केवल आकस्मिक श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी में वृद्धि, न तो वास्तविक आय में वृद्धि के संबंध में अथवा न ही श्रम बाजार की मजबूती का कोई निश्चित साक्ष्य हो सकता है जबकि बेरोजगार के भार में कोई कमी न आए और उसमें बल्कि वृद्धि हो। उदाहरण के लिए, चालू दैनिक स्तर (सीडीएस) आधार पर मापित बेरोजगारी की दर 1983 में 8.3 प्रतिशत से 1993-94 में 5.99 प्रतिशत हो गई; किन्तु 1999-200 में यह बढ़कर 7.32 प्रतिशत हो गई। इसके अलावा, युवाओं के बीच बेरोजगारी 1993-94 और 1999-2000 के बीच बढ़ गई: 15-29 वर्षों के आयु वर्ग में ग्रामीण पुरुषों के बीच 9.0 प्रतिशत से 11.1 प्रतिशत और ग्रामीण महिलाओं के बीच 7.6 प्रतिशत से 10.6 प्रतिशत (संलग्नक 5.8)। 1999-2000 में शहरी पुरुष युवाओं (15-29 वर्षों) के बीच बेरोजगारी के 14.7 प्रतिशत अखिल भारत औसत के विपरीत, गुजरात, हरियाणा,

राजस्थान और पंजाब में बेरोजगारी 8 से 9 प्रतिशत है, किन्तु यह दर असम में (22.4 प्रतिशत), पश्चिम बंगाल में (23.4 प्रतिशत), बिहार में (24.0 प्रतिशत) और केरल में (26.6 प्रतिशत) कहीं अधिक है। इसके अलावा, गरीबों के बीच बेरोजगारी का भार कहीं ज्यादा है। निम्नतम खपत व्यय वर्ग में बेरोजगारी की दर उच्चतम खपत व्यय वर्ग की तुलना में दुगने से भी ज्यादा है (संलग्नक 5.12)।

5.5 1983-1993/94 और 1993-94-1999/2000 अवधियों के बीच श्रमिक बल में वृद्धि 2.43 प्रतिशत से कम होकर 1.31 प्रतिशत हो गई। किन्तु, कामकाजी आयु-वर्ग (15+) में आबादी में वृद्धि में तेजी जारी है, ऐसा आबादी में वृद्धि में गिरावट के बावजूद है, क्योंकि युवा दस्ता वृद्ध हो जाता है। कामकाजी आयु वर्ग में आबादी में ऊंची वृद्धि के बावजूद, श्रमिक बल में वृद्धि में गिरावट इस वजह से है कि कामकाजी आयु वर्ग में से काफी बड़ा भाग श्रमिक बल से हट गया है। यद्यपि श्रमिक बल में गिरावट के एक भाग का कारण शिक्षा संस्थाओं में उपस्थिति में वृद्धि बताया जा सकता है, किन्तु इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि कामकाजी आयु वर्ग में कुछेक काम की अनुपलब्धता के कारण श्रमिक बल से हट गए हैं।

आबादी और श्रमिक बल पूर्वानुमान

5.6 राष्ट्र के वर्तमान जनांकिकीय परिवर्तन को देखते हुए, जनसंख्या में आयु संरचना में परिवर्तन ऐसे हैं जिनसे पूरी आबादी की तुलना में कामकाजी आयु वर्ग में जनसंख्या में वृद्धि की गति तेज होती है, और इसकी वजह से, विभिन्न आयु वर्गों में भिन्न-भिन्न भागीदारों को देखते हुए, कामकाजी आयु वर्ग की तुलना में, श्रमिक बल में वृद्धि

तेज होगी (तालिका 5.1 और 5.2)

5.7 जैसा कि पहले नोट किया गया है, 1993/1994-1999/2000 अवधि में कामकाजी आयु वर्ग और श्रमिक बल की वृद्धि दरों में काफी अन्तर था, जिसकी वजह से पूर्ववर्ती अवधि (1983-1993/94) की तुलना में इस अवधि के दौरान श्रमिक बल में वृद्धि में तेज गिरावट आई, अर्थात् 2.43 प्रतिशत से 1.31 प्रतिशत प्रतिवर्ष। दसवीं योजना में दस मिलियन रोजगार अवसर सृजित करने के संबंध में योजना आयोग के विशेषज्ञ दल ने नोट किया कि इस तेज गिरावट के कारणों की और आगे जांच किए जाने की जरूरत है, एक मत यह है कि श्रमिक बल से हट जाने का अर्थ किसी व्यक्ति द्वारा अपने समय का उपयोग भविष्य में बेहतर प्रतिफल की दृष्टि से शिक्षा प्राप्त करने के लिए करना है, जबकि विशेष दल की राय है कि इस कारण को श्रमिक बल से हटने का कारण आंशिक कहा जा सकता है और सुझाया है कि काम के अवसरों में कमी की वजह से श्रमिक बल की पूर्ण वापसी हो सकती है। [cgjgky] Je cy dh of¼ nj ea deh ls ;g vk'kk ugha dh tkrh g\$ fd Hkfo"; ea ;g vck/ : i ls tkjh jgxkA इसलिए विशेष समूह ने, रोजगार अवसर संबंधी कार्यदल द्वारा सुझाए गए दो वैकल्पिक श्रमिक बल वृद्धि परिदृश्य में से उच्चतर को अपनाया है। तदनुसार, दल ने दसवीं योजना अवधि (2002-07) के दौरान श्रमिक बल में वृद्धि दर 1.8 प्रतिशत मानी है, अर्थात् (2007-12) से आगे की अवधि में आयु-विशिष्ट भागीदारी दरों में कहीं धीमी गिरावट। इसलिए, यहां 1.8 प्रतिशत वृद्धि के आधार पर श्रमिक बल में पूर्वानुमान लगाए गए हैं (तालिका 5.3)।

तालिका 5.1
आबादी की आयु संरचना

(प्रतिशत में आयु वितरण: मिलियन आबादी)

आयु वर्ग	2001	2006	2011	2016
0-14	35.6	32.5	29.7	27.1
15-59	58.2	60.4	62.5	64.0
60 +	6.3	7.0	7.9	8.9
सभी आयु वर्ग	100.0	100.0	100.0	100.0
आबादी	1,027.0	1,113.7	1,194.4	1,267.5

स्रोत: योजना आयोग

तालिका 5.2
आबादी और श्रमिक बल में वृद्धि

(प्रतिशत प्रतिवर्ष)

	2002-2007	2007-2012	2012-2017
आबादी (सभी आयु वर्ग)	1.63	1.41	1.20
आबादी (15-59 वर्ष)	2.41	2.08	1.70
श्रमिक बल (15-59 वर्ष) ¹	2.42	2.15	1.78
आबादी (15+)	2.57	2.26	1.93
श्रमिक बल (15+)	2.51	2.25	1.92

टिप्पणी: (1) यहां श्रमिक बल पूर्वानुमान श्रमिक बल भागीदारी के आधार पर हैं क्योंकि प्रत्येक पंचवर्षीय आयु वर्ग में वह अपरिवर्तित रहती है, अर्थात् आबादी की दृष्टि से श्रमिक बल वृद्धि में परिवर्तन आबादी की आयु संरचना में परिवर्तनों की वजह से होता है।

स्रोत: योजना आयोग

तालिका 5.3
श्रमिक बल और कामकाजी आयु वर्ग में वृद्धि

(मिलियन)

परिदृश्य का आधार	2002-2007	2007-12
श्रमिक बल में वृद्धि (विशेषा दल) ¹	35.29	40.02
कामकाजी आयु वर्ग में (15+) वृद्धि ²	55.25	55.82

स्रोत: 1. प्रत्येक वर्ष दस मिलियन रोजगार अवसर सृजित करने के संबंध में योजना आयोग विशेषा दल की रिपोर्ट (2002)।

2. तालिका 5.1 से तैयार

रोजगार और बेरोजगारी का माप

5.8 नौवीं योजना में, रोजगार और बेरोजगारी के परिकलन सामान्य प्रमुख और गौण स्थिति आधार (यूपीएसएस) पर आधारित थे। विशेषा दल की रिपोर्ट में मत व्यक्त किया गया है कि चालू दैनिक आधार (सीडीएस), सामान्य स्थिति की तुलना में, बेरोजगारी और अल्प रोजगार का पता लगाने का

एक बेहतर तरीका है और इसलिए उसने अनुमान प्रयोजन हेतु सीडीएस आधार का उपयोग करने की सिफारिश की।

5.9 रोजगार और बेरोजगारी मापने के रूप में सीडीएस का उपयोग करने का तर्क निम्नांकित है। दसवीं योजना के संबंध में दृष्टिकोण पत्र में दसवीं योजना में और उसके बाद श्रमिक बल में होने वाली सभी अभिवृद्धियों के लिए लाभप्रद रोजगार अवसर सृजित करने की सिफारिश की गई है। इसलिए, लाभप्रद रोजगार अवसरों की आवश्यकता और उपलब्धता के बीच अन्तर को पूरा करने के लिए नीतियां और कार्यक्रम तैयार किए जाने हैं। किसी निश्चित समय पर, बड़ी संख्या में बेरोजगार और अल्प-रोजगारप्राप्त श्रमिक होते हैं, अर्थात् किसी लाभप्रद रोजगार के बिना, यद्यपि यूपीएसएस आधार पर माप का इस्तेमाल करते हुए, उनमें से बहुत से व्यक्तियों को रोजगारप्राप्त घोषित किया जाता है। इसकी वजह से रोजगार के स्तर का अधिक अनुमान लगाया जाता है। मुख्यतः इससे बचने के लिए, विशेषा समूह ने रोजगार और बेरोजगारी की सीमा का सीडीएस आधार पर अनुमान लगाने का सुझाव दिया था।

5.10 एनएसएसओ रोजगार और बेरोजगारी सर्वेक्षण रिपोर्ट, 1999-2000 के अनुसार, आबादी के वर्गीकरण हेतु अपनाया गया सामान्य स्थिति दृष्टिकोण, मौसमी उतार-चढ़ाव के कारण

पैदा हुई कार्यकलाप संबंधी पद्धति में परिवर्तनों का पता लगाने में समर्थ नहीं है। किन्तु, चालू साप्ताहिक अथवा चालू दैनिक स्थिति दृष्टिकोण अपनाकर प्राप्त किए गए अनुमानों से, वर्षा के दौरान कार्यकलाप पद्धति में रुक-रुक कर होने वाले परिवर्तनों के कारण उत्पन्न समग्र प्रभाव परिलक्षित होने की उम्मीद है। सीडीएस उन परिवर्तनों को भी परिलक्षित करती है जो सप्ताह के दौरान भी घटित होते हैं। चालू दैनिक स्थिति पर आधारित रोजगार के अनुमान रोजगार की औसत दैनिक स्थिति प्रस्तुत करते हैं। इसलिए, विशेषा समूह ने सीडीएस माप को, अन्तर का अनुमान लगाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उपाय समझा, अर्थात् लाभप्रद आधार पर सृजित किया जाने वाला रोजगार, जिससे कि इस संबंध में सिफारिशों की जा सकें कि उसे नीतियों और कार्यक्रम में परिवर्तन करके किस प्रकार पाटा जा सकता है।

5.11 एनएसएसओ रिपोर्ट में उस सम्भावित अल्प-रोजगार के अनुमान भी दिए गए हैं जो सीडीएस के साथ तुलना किए जाने पर यूपीएसएस दृष्टिकोण द्वारा परिकलित किए जाने पर, रोजगार प्राप्त श्रेणी की संख्या में छिपे हैं। संदर्भाधीन सप्ताह के अन्दर दिनों के दौरान सामान्य रोजगार की कार्यकलाप पद्धति का संकेत चालू दैनिक स्थिति द्वारा उनके कार्यकलाप के विभाजन द्वारा मिलता है। ग्रामीण और शहरी भारत के संबंध में संगत परिणाम तालिका 5.4 में प्रस्तुत हैं। देखा गया है कि सामान्यतः रोजगार के व्यक्ति दिवसों

का, कार्य के लिए उपयोग किया गया अनुपात, 1987-88 से 1999-2000 की पूरी अवधि के दौरान पुरुषों की तुलना में महिलाओं के संबंध में कम है। वर्षा 1999-2000 के दौरान महिलाओं के संबंध में यह अनुपात ग्रामीण और शहरी भारत में क्रमशः लगभग 68 प्रतिशत और 79 प्रतिशत था जबकि पुरुषों के संबंध में यह अनुपात ग्रामीण और शहरी भारत में क्रमशः 90 और 94 प्रतिशत था। यदि काम उपलब्ध नहीं होता तो बड़ी संख्या में महिलाएं अपने आपको बेरोजगार रिपोर्ट करने की बजाए श्रमिक बल से हट जाती हैं। 1999-2000 सर्वेक्षण से प्राप्त विभाजन तालिका 5.4 में दिया गया है।

रोजगार अवसरों के पूर्वानुमान

5.12 जैसा कि पहले नोट किया गया है, उत्पादन वृद्धि की रोजगार सृजक क्षमता हाल ही के वर्षों में घटी हुई देखी गई है (संलग्नक 5.6)। जीडीपी विकास का आधारभूत अनुमान 6.5 प्रतिशत है, जैसा कि दसवीं योजना दृष्टिकोण पत्र में उल्लेख किया गया है। संलग्नक 5.13 में इन अनुमानों का इस्तेमाल करते हुए रोजगार सम्भावनाएं दर्शाई गई हैं। इस अनुमान से पता चलता है कि 'सामान्य व्यवसाय आधार' (अर्थात् वर्तमान रोजगार नम्यता के साथ) के अनुसार, दसवीं योजना के अन्त तक बेरोजगारी की प्रतिशतता बढ़कर 11.0 हो जाएगी, जिससे कुल बेरोजगार बल 45.56 मिलियन व्यक्ति वर्षा हो जाएगा। किसी भी समाजार्थिक अथवा राजनीतिक

तालिका 5.4

स्थूल चालू दैनिक स्थिति के अनुसार सामान्य रूप से रोजगारप्राप्त (प्रमुख और गौण स्थिति श्रमिकों दोनों को मिलाकर) व्यक्ति-दिवसों का प्रति 1000 विभाजन

चालू दैनिक स्थिति	ग्रामीण						शहरी					
	पुरुषा			महिलाएं			पुरुषा			महिलाएं		
	1999-00	1993-94	1987-88	1999-00	1993-94	1987-88	1999-00	1993-94	1987-88	1999-00	1993-94	1987-88
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
रोजगार	897	909	926	676	663	638	942	949	938	791	766	716
बेरोजगार	53	40	27	41	30	26	27	27	37	22	24	37
श्रमिक बल में सम्मिलित नहीं	51	51	47	283	306	336	31	25	25	187	210	247
सभी के संबंध में	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

स्रोत: एनएसएसओ

आधार पर यह स्थिति स्वीकार्य नहीं है। इसलिए, भविष्य में, यदि बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया जाना है तो क्षेत्रकीय पद्धति और प्रौद्योगिकी बदलने के लिए सकारात्मक नीतियों और कार्यक्रमों के साथ-साथ, कहीं अधिक विकास दर (8 प्रतिशत) आवश्यक है।

5.13 दसवीं योजना के आधार वर्ष (2001-2002) के संबंध में रोजगार और बेरोजगारी के अनुमान संलग्नक 5.14 में दिए गए हैं। वर्ष 2001-02 के संबंध में बेरोजगारी के अनुमान लगभग 34.85 मिलियन व्यक्ति वर्ष (सीडीएस आधार पर परिभाषित) बताए गए हैं जबकि बेरोजगारी की दर बढ़कर लगभग 9.21 प्रतिशत हो गई। इसमें दसवीं योजना अवधि के दौरान श्रमिक बल में 35.29 मिलियन व्यक्ति वर्ष की अभिवृद्धि का अनुमान भी दिया गया है। इस प्रकार, दसवीं योजना के दौरान, हमें 70.14 मिलियन व्यक्ति वर्षों से अधिक सम्भाव्य रोजगार मांग के विरुद्ध रोजगार अवसर सृजित करने की समस्या का समाधान करना है (अर्थात् 34.85 मिलियन आधार अवधि बेरोजगार और बहिर्गमन को निकाल कर 35.29 मिलियन नए श्रमिकों का समावेश)। इस सम्भावना के आलोक में, दसवीं योजना के दृष्टिकोण पत्र के रोजगार उद्देश्य की पूर्ति की जानी है। दृष्टिकोण पत्र में पांच वर्षों की अवधि के दौरान श्रमिक बल में होने वाली सभी अभिवृद्धियों के लिए लाभप्रद रोजगार के अवसरों की व्यवस्था करने और दसवीं योजना के दौरान बेरोजगार की दर में पर्याप्त रूप से कटौती करने की सिफारिश की गई है जिससे कि ग्यारहवीं योजना के अन्त तक बेरोजगारी की दर लगभग शून्य होगी।

5.14 दसवीं योजना में 8 प्रतिशत प्रति वर्ष की काफी ऊंची विकास दर की परिकल्पना की गई है। कुल वृद्धि दर का विवरण संलग्नक 5.15 में दर्शाया गया है। इस विकास पद्धति को देखते हुए तथा वर्तमान क्षेत्रकीय रोजगार नम्यताओं की परिकल्पना करते हुए दसवीं योजना के दौरान रोजगार और बेरोजगारी के स्तर का अनुमान लगाया गया है। अगली पांच वर्षों की अवधि के दौरान 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि के साथ लगभग 29.67 मिलियन व्यक्ति वर्षों के बढ़े हुए अवसर सृजित किए जाएंगे (अर्थात् 343.36 मिलियन की आधार संख्या से 373.03 मिलियन तक की वृद्धि)। इस 'सामान्य व्यवसाय परिदृश्य' का अर्थ 1.7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की रोजगार वृद्धि है जबकि श्रमिक बल में 1.8 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि होगी। परिणाम: 8 प्रतिशत की ऊंची वृद्धि दर के

बावजूद, श्रमिक बल में होने वाली सभी वृद्धियों के लिए रोजगार अवसर प्रदान करने का उद्देश्य प्राप्त नहीं होगा; 5.62 मिलियन अतिरिक्त रोजगार अवसरों का सृजन करना होगा। इसे, 34.85 मिलियन की आधार अवधि स्टाक बेरोजगारी में शामिल करके, दसवीं योजना के अन्त में बेरोजगारी की दर 9.79 प्रतिशत होगी; 9.21 प्रतिशत के आधार में वृद्धि। ऐसा मुख्यतः अर्थव्यवस्था के बहुत से क्षेत्रों में, विशेष रूप से संगठित क्षेत्रों में, लगभग रोजगार रहित विकास प्रकृति तथा बहुत से संगठित क्षेत्रों में तथा कुछेक असंगठित क्षेत्रों में भी, कुछ लघु उद्योगों सहित, बढ़ती पूंजी तीव्रता के कारण है। यदि श्रमिक बल वृद्धि 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष तक बढ़ जाती है तो दसवीं योजना के अन्त में बेरोजगारी की दर कम से कम एक प्रतिशतांक तक भी बढ़ सकती है (चार मिलियन और बेरोजगार व्यक्तियों को शामिल करते हुए¹)। इसलिए इसका समाधान एक विकास नीति की खोज करने में है जिससे उन क्षेत्रों में कार्यकलापों का पुनर्गठन हो, जहां उत्पादन की एक श्रम-बहुल प्रकृति में तुलनात्मक लाभ है। किन्तु, अब चूंकि अर्थव्यवस्था एक वैश्वीकरण के प्रभाव के अन्तर्गत कार्य कर रही है इसलिए क्षेत्रों और उप-क्षेत्रों के बीच कार्यकलापों का पुनर्आबंटन करने में पूरी सावधानी बरती जानी चाहिए जिससे कि प्रत्येक क्षेत्रक मुक्त बाजार प्रतिस्पर्धा का सामना कर सके। एक साधारण उदाहरण के तौर पर, कृषि की समग्र वृद्धि दर में परिवर्तनों के बगैर, फसल पद्धतियों में परिवर्तन करके उप-क्षेत्रक वार संरचनाओं में परिवर्तन किया जा सकता है और खाद्य तथा खाद्य-भिन्न के बीच, कम श्रम गहन क्षेत्रों से अधिक श्रम गहन क्षेत्रों के बीच संसाधन का आबंटन किया जा सकता है। इस नीति के तहत भी अतिरिक्त निवेश संसाधनों की जरूरत नहीं होगी। वस्तुतः प्रायः यह कहा जाता है कि श्रम गहन कार्यकलापों के अनुकूल किसी परिवर्तन के साथ श्रम और ज्ञान प्रौद्योगिकी द्वारा पूंजी के प्रतिस्थापन से पूंजी की बचत जुड़ी होती है। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, विनिर्दिष्ट कार्यक्रमों और परियोजनाओं का विनिर्धारण और शुरुआत की जानी है। इस प्रयास में, मंत्रालयों और क्षेत्रक विशेषज्ञों के साथ व्यापक रूप से चर्चाएं आयोजित की गई हैं। इस समय, रोजगार सृजन के संबंध में जरूरत की जानकारी योजनागत कार्यक्रमों/नीतियों का निर्माण करते समय सामान्यतः बहुत कम है। यह अधिकांश संबंधित मंत्रालयों और प्राधिकारियों पर लागू होता है। रोजगार सृजन संबंधी विशेष समूह के निष्कर्षों के अनुसार कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रक कार्यकलापों में बहुत ज्यादा रोजगार सृजन क्षमता

1 आबादी और श्रमिक बल में पूर्वानुमानों में वृद्धि के बीच अन्तर तालिका 5.3 से नोट करें

है। जरूरी नहीं है कि इसे भारी अतिरिक्त निवेश करके प्राप्त किया जाए बल्कि निधियों के पुनर्आर्बेटन और उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के चयन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। किन्तु वर्तमान वैश्विकृत पद्धति के तहत संधारणीय होने के वास्ते इसे उनकी उत्पादकता और प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाने के लिए उपयुक्त नीतियों द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए।

5.15 संलग्नक 5.14 और 5.16 में रोजगार सृजन की स्थिति दर्शाई गई है, जिसमें क्रमशः (i) विद्यमान रोजगार नम्यताओं में किसी परिवर्तन के बिना स्वतः ही विकास से उत्पन्न, अर्थात् अप्रत्यक्ष रूप से “सामान्य व्यवसाय” स्थिति की कल्पना करते हुए (उत्पादन की श्रम तीव्रता की अन्तर-क्षेत्रकीय संरचना में बिना किसी परिवर्तन के) को, (ii) अधिक श्रम उपयोग के अनुकूल नीतियों और कार्यक्रमों में चयनात्मक परिवर्तनों को दिखाया गया है। इनके संबंध में क्षेत्रकीय अनुमान संलग्नक 5.18 में दिए गए हैं। जैसा कि संलग्नक 5.19 से पता चलता है, विशेषः कार्यक्रमों से सृजित रोजगार में अधिकतम वृद्धि (i) कृषि और सम्बद्ध कार्यकलापों, (ii) लघु और मझौले उद्योगों, व्यापक आधारित ग्रामीण कृषि भिन्न कार्यकलापों से तथा कुछ शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे समाज सेवा क्षेत्रों से, प्राप्त होगी। इसके अलावा, निर्माण, पर्यटन, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी तथा वित्तीय सेवाओं जैसे उच्च श्रम गहनता वाले क्षेत्रों के तेज विकास के लिए उपयुक्त नीतिगत परिवर्तन विनिर्धारित किए गए हैं। अनौपचारिक क्षेत्रों में और विशेषः रूप से स्वःरोजगार वाले क्षेत्रों में, जो बहुत रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं, बहुत सम्भाव्य क्षेत्र विद्यमान हैं और इनका भी विकास किया जाना चाहिए।

5.16 सारांश संलग्नक 5.18 से पता चलता है कि उपयुक्त कार्यक्रमों तथा नीतिगत परिवर्तनों से, 8 प्रतिशत की वृद्धि दर से ही दसवीं योजना के दौरान रोजगार अवसरों के अतिरिक्त 19.32 मिलियन व्यक्ति वर्सा का सृजन हो सकता है, जिससे दसवीं योजना के दौरान रोजगार अवसरों के कुल 50 मिलियन व्यक्ति वर्सा प्राप्त होंगे। सिफारिश की गई इस स्थिति से दसवीं योजना अवधि के दौरान सृजित श्रम बल की न केवल सभी अभिवृद्धियां लाभप्रद ढंग से खप जाएंगी बल्कि बेरोजगारी के स्तर में भी लगभग आधी कमी आएगी और ग्यारहवीं योजना के अन्त तक यह बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। बेरोजगारी की प्रतिशतता दसवीं योजना के अन्त तक 9.21 प्रतिशत से कम होकर 5.11 प्रतिशत हो जाएगी और बेरोजगारी ग्यारहवीं योजना के अन्त तक समाप्त हो जाएगी। सारांश

में, चयनात्मक नवीन कार्यक्रमों और नीतियों के जरिए लगभग 20 मिलियन व्यक्ति वर्सा को रोजगार अवसरों का सृजन करना होगा जिसके फलस्वरूप श्रम तीव्रता वाले क्षेत्रों में अनुकूल विकास की बदलती पद्धति कायम होगी; शेष 30 मिलियन अवसर विकास की सामान्य उत्पादकता से प्राप्त होंगे जैसा कि हाल ही पीछे परिकल्पित किया गया है (1993-94 से 1999-2000), जिसके फलस्वरूप दसवीं योजना के दौरान कुल 50 मिलियन व्यक्ति वर्सा प्राप्त होंगे।

(II) रोजगार सृजन के लिए कार्यनीतियां तथा नीतियां

5.17 जैसा कि पहले नोट किया गया है, दसवीं योजना का उद्देश्य इस योजना अवधि के दौरान और उसके बाद श्रमिक बल में होने वाली समस्त अभिवृद्धियों के लिए लाभप्रद रोजगार की व्यवस्था करना है। एक औसत कामगार की रोजगार की कोटि में सुधार करने के वास्ते यह एक अनिवार्य शर्त है। क्योंकि यदि श्रम बाजार में मांग, पूर्ति से कम रहे तो, रोजगार की कोटि सुधारने के लिए किसी भी कार्यनीति के सफल होने की सम्भावना नहीं है। एक विशाल श्रम अधिशेषः स्थिति में उच्च कोटि का रोजगार हो सकता है किन्तु केवल एक चयनित वर्ग के लिए।² इसलिए, रोजगार की कोटि सुधारने के लिए पहली कार्यनीति श्रम की कुल मांग को बढ़ाना है।

5.18 यद्यपि श्रम के लिए मांग को बढ़ाने के लिए आर्थिक विकास की ऊंची दर एक आवश्यक शर्त है, तथापि विकास लक्ष्य को अलग से प्राप्त करने के प्रयास पर्याप्त नहीं होंगे, कम से कम निकट भविष्य में जिससे कि श्रमिक बल में वार्षिक अभिवृद्धियों को लाभप्रद ढंग से खपाया जा सके। इसलिए, पंचवर्षीय योजना के अल्प-अवधि परिप्रेक्ष्य में, विकास के साथ-साथ विकास की रोजगार मात्रा भी बढ़ानी होगी जिससे कि योजना के रोजगार उद्देश्य प्राप्त किए जा सकें।

नए रोजगार अवसर सृजित करने के लिए क्षेत्रकीय नीतिगत पहल

5.19 बहुत से श्रम गहन क्षेत्रक हैं जहां रोजगार सृजन विकास में तेजी प्राप्त की जा सकती है यदि सही किस्म की क्षेत्रकीय नीतियां तैयार की जा सकें। ऐसे क्षेत्रों की एक संकेत देने वाली सूची बॉक्स 5.1 में दी गई है।

2 बहुत उच्चकोटि के रोजगार आज भी उपलब्ध हैं किन्तु केवल संगठित क्षेत्रक में।

बाक्स 5.1

कुछ श्रम गहन क्षेत्रक जिनके संबंध में नीतिगत उपायों की जरूरत है

कृषि और सम्बद्ध कार्यकलाप

- कृषि में सरकारी निवेश में वृद्धि किए जाने की जरूरत है। इसके साथ-साथ अनाजों के स्थान पर तिलहनों और दालों की खेती के अधीन अतिरिक्त भूमि को लाने से रोजगार सृजन की काफी गुंजाइश है। बागवानी, कृषि प्रबंधन कार्यक्रम, कृषि-क्लिनिक तथा बीज उत्पादन रोजगार सृजन के अन्य सम्भाव्य क्षेत्र हैं।
- अवनत वनों को फिर से पैदा करना, वाटरशेड विकास और उच्च श्रम गहन कार्यकलाप।
- वेस्टलैण्ड विकास।
- औद्योगिक पौधों और ऊर्जा बागान का विकास जिनकी उच्च विकास तथा रोजगार क्षमता है।
- लघु सिंचाई
- बांस की खेती और बांस - आधारित उत्पादों का विनिर्माण।
- खाद्य प्रसंस्करण
- ग्रामीण, कृषि भिन्न कार्यकलाप/उद्योग, खादी और ग्रामोद्योग सहित
- लघु और मझौले उद्योग
- सेवा क्षेत्रक
 - स्वास्थ्य
 - पोषाहार
 - शिक्षा
 - सूचना प्रौद्योगिकी और संचार

कृषि

5.20 खाद्य सुरक्षा परिदृश्य ने विगत तीन दशकों के दौरान कृषि में क्षेत्रकीय नीतियों और सम्बद्ध कार्यक्रमों को मार्गदर्शित किया है। कृषि उत्पादन और खाद्य कीमतों की दृष्टि से इसके अच्छे परिणाम सुनिश्चित हुए हैं। रोजगार एक आनुवांगिक उद्देश्य था। कतिपय कृषि फसलें, मुख्यतः गेहूं और धान और देश के कुछ भाग, जहां इनका उत्पादन होता है, पर्याप्त रूप से लाभान्वित हुए हैं। ऐसे स्थानों पर श्रमिकों की मजदूरियों में सुधार हुआ है। तथापि, कृषि में रोजगार वृद्धि में 1990 के दशक में बहुत निम्न स्तर तक गिरावट आई। देश की बढ़ी आबादी की खपत आवश्यकताओं को देखते हुए, कृषि उत्पादन और इससे जुड़ी प्रक्रिया, वितरण, व्यापार, वित्तीय तथा वाणिज्यिक कार्यकलापों में अभी भी निम्नलिखित के संबंध में काफी सम्भावनाएं हैं (i) श्रम की मांग को स्थिर बनाना, और (ii) रोजगार की कोटि में सुधार। तथापि, उप-क्षेत्रक स्तर पर, कृषि के विकास की पद्धति तथा इसके अग्र संयोजित कार्यकलापों में बहुत से संरचनात्मक परिवर्तनों की जरूरत है।

5.21 खाद्य सुरक्षा के उद्देश्य तकरीबन प्राप्त हो जाने पर कृषि के संबंध में विकास परिप्रेक्ष्य में परिवर्तन किए जाने की जरूरत है। इस क्षेत्रक के विकास निष्पादन और साथ ही श्रम खपत की गति में भी सुधार करने के वास्ते यह आवश्यक है। क्षेत्रक को प्रभावित करने वाली अधिकांश नीतिगत बाधाओं के बारे में कृषि संबंधी अध्याय में विस्तारपूर्वक चर्चा की गई है। इस क्षेत्रक में रोजगार सृजन की दृष्टि से दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं - कृषि का विविधीकरण और कृषि उत्पाद के भण्डारण, ढुलाई और मार्केटिंग पर लगे नियंत्रण को हटाना है।

5.22 कृषि से जुड़े नये क्षेत्रों में रोजगार के और अवसर खोलने की दिशा में कुछेक पर्याप्त लाभ प्रदान करने वाले उपाय का उल्लेख नीचे किया गया है:

- उर्वरकों, पानी और बिजली पर सब्सिडियां कम करके सिंचाई, विद्युत और सड़कों में सरकारी निवेश पर्याप्त रूप से बढ़ाया जाना चाहिए।
- कृषि उत्पाद के विपणन, भण्डारण और लाने ले जाने

के बारे में खाद्य कमी के युग में पहले प्रारंभ किए गए नियंत्रण और विनियामक उपायों (जैसे कि अनिवार्य वस्तु अधिनियम, दुग्ध और दुग्ध उत्पाद नियंत्रण आदेश, सारणीकृत निर्यात आदि) की समीक्षा किए जाने की जरूरत है।

- कृषि उत्पादों के विपणन में निजी और सहकारी क्षेत्रक भागीदारी की अनुमति दी जानी चाहिए जिससे कि एकाधिकारवादी/अल्पाधिकारवादी आपूर्ति संरचना को समाप्त किया जा सके। इसके साथ ही, कृषि वस्तुओं में अग्रगामी व्यापार की अनुमति दी जानी चाहिए।
- खाद्यान्नों व अन्य वस्तुओं के संबंध में न्यूनतम समर्थन मूल्य का समायोजन इस ढंग से किया जाना चाहिए कि उससे कृषि के विविधीकरण को प्रोत्साहन मिले। ऐसा भौगोलिक कवरेज और फसल विविधीकरण दोनों ही दृष्टि से किया जाना चाहिए। दालें और तिलहनों जैसे नए क्षेत्र अधिक श्रम गहन हैं; फसल पद्धति को उनके पक्ष में बदलने से उत्पादन के प्रति यूनिट रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। पोषाण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक औसत खाद्य खपत डाली में इन मर्दों का भार बढ़ाने के लिए भी इन फसलों का उच्च उत्पादन आवश्यक है।

कृषि भूमि उपयोग और भू - कानूनों का उदारीकरण

5.23 कृषि में विकास को बढ़ाने के वास्ते, भूमि और जल के बेहतर उपयोग संबंधी सभी नीतियों को जारी रखे जाने की जरूरत है। उदाहरणार्थ, अभी तक अप्रयुक्त सभी किस्मों की भूमि के उपयोग विशेष रूप से खेतीयोग्य और वनारोपण योग्य भूमि के उपयोग के संबंध में जो सरकार के स्वामित्व में हैं, नीतियों को प्राथमिकता दिए जाने की जरूरत है।

5.24 खाइयों, असमतल भूमि, क्षारीय, विक्षारीय, लवणयुक्त और जलाक्रान्त भूमि जैसी अवनत भूमियों के पुनरुद्धार के लिए एक पृष्ठ-ठोन्मुखी, लाभप्रद-उन्मुख सब्सिडी स्कीम की केन्द्र में कृषि मंत्रालय द्वारा परिकल्पना की गई है।

5.25 भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण और स्टाम्प ड्यूटियों में काफी कमी करने के संबंध में कुछ प्रोत्साहनों से अवास्तविक विधिक और अवैध संचारण पद्धतियों और ग्रामीण क्षेत्रों में मुकदमेंबाजी से भी बचा जा सकता है।

5.26 भूमि पट्टे लीज पर लेने और पट्टे पर देने को कानूनी बना देने तथा दोनों पक्षों के संबंध में प्रवर्तनीय मानकीकृत संविदा प्रारूपों के माध्यमों से भू-धारणों के आकार को बढ़ाने और कृषि-इकाइयों की क्षमता सुधारने में मदद मिलेगी।

5.27 लघु सिंचाई और वाटरशेड विकास से कृषि की रोजगार सृजन क्षमता में वृद्धि होगी।

5.28 मध्य क्षेत्र में अर्ध-शुष्क और वर्षापोषित क्षेत्रों पर, जहां उत्पादकता बढ़ाने की भारी क्षमता है, दसवीं योजना में विशेष ध्यान दिया जाएगा। दसवीं योजना के लिए चुने गए इन उपायों से कृषि विकास में तेजी आ सकती है तथा अन्य क्षेत्रकों में भी विकास को बढ़ावा मिलेगा और गरीबी कम होगी।

5.29 वर्षापोषित अथवा अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में जहां भारत की अधिकांश सीमान्तिक भूमि विद्यमान है, कृषि वानिकी माडलों को प्रोत्साहित करने के बेहतर सामाजिक प्रतिफल हैं, यही वह संदर्भ है जिसमें हमें बड़े प्रोत्साहन की जरूरत है। इसी प्रकार, गरीबों से संबंधित परती भूमियों पर, वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने की जरूरत है तथा कृषि वानिकी पर फिर से बल दिया जाना चाहिए। इन नीतियों का ब्योरा योजना आयोग के भारत को हरित बनाने के संबंध में कार्य दल की रिपोर्ट में उपलब्ध है।

अनुसंधान और विस्तार

5.30 दालों और तिलहनों जैसी अधिक श्रम गहन फसलों को अनुसंधान और विस्तार सेवाओं का लाभ प्राप्त होना चाहिए।

5.31 कृषि विविधीकरण में एक महत्वपूर्ण घटक पशु पालन है, जिसमें डेयरी उद्योग और कुक्कुट पालन शामिल है जिसमें न केवल ग्रामीण आजीविकाओं के संबंध में बल्कि शहरी आजीविकाओं के संबंध में भी अपार सम्भावनाएं हैं। इस क्षेत्रक के समुचित विकास के लिए न केवल प्रौद्योगिकी, प्रसंस्करण और विपणन व्यवस्थाओं पर ध्यान देने की जरूरत होगी बल्कि पशु कल्याण के मुद्दों पर भी ध्यान देने की जरूरत होगी।

5.32 वैज्ञानिक वाटरशेड विकास के माध्यम से सिंचाई क्षमता को बढ़ाने और वर्षा जल के दोहन पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। ये अत्यंत रोजगार-बहुल कार्यकलाप भी हैं। लाभों के प्रदर्शन और प्रसारण के माध्यम से जल दोहन तकनीकों को व्यापक रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

ऐसे प्रयासों में पंचायतों को सक्रिय रूप से शामिल किया जाना चाहिए।

कृषि में महिलाएं

5.33 एनएसएसओ सर्वेक्षण परिणामों से पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के बीच बहुत बेरोजगारी है। इसलिए, दसवीं योजना में काम के अवसरों और महिला कृषकों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए कार्यक्रमों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। पट्टे पर देने तथा महिला समूहों द्वारा खेती न की जाने वाली कृषि भूमि की फसल बंटाई को नियमित बनाकर, परती भूमि को खेती के अधीन लाने में सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करके, और महिलाओं को निम्न निविडित जीवन निर्वाह कृषि में महिलाओं को नीतिगत प्रोत्साहन प्रदान करके उत्पादक भूमि तक महिलाओं की पहुँच बढ़ाने के, अतिरिक्त रोजगार सृजन के साथ-साथ महिलाओं की अधिकारिता और परिवार की खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से तत्काल लाभ होंगे।

कृषि सुधार और रोजगार

5.34 वर्ष 1991 में शुरू किए गए सुधारों से कृषि क्षेत्रों में लगभग अछूता रहा। सुधारों का उद्देश्य, गरीबी दूर करना था तथा रोजगार सृजक विकास को गरीबी दूर करने के वास्ते प्रमुख नीति के रूप में समझा गया। अब कुछ प्रारम्भिक उपाय किए गए हैं किन्तु इस प्रक्रिया के संबंध में राज्य सरकारों, स्थानीय शासनों, पंचायतों व अन्य स्थानीय प्राधिकारियों की निकट भागीदारी की आवश्यकता होगी। उपयुक्त कार्यक्रमों के माध्यम से आयोजना को एक अतिसक्रिय भूमिका निभाने की जरूरत है।

5.35 उम्मीद है कि नवीन डब्ल्यूटीओ बातचीत तथा कृषि के संबंध में बातचीत के नए दौर के फलस्वरूप, कृषि में व्यापार विकृति कृषि सन्निधियों को न्यूनतम करके देश के निर्यातों में वृद्धि हो सकेगी। कृषि निर्यात में वृद्धि से रोजगार सृजन में योग मिलना चाहिए, क्योंकि उनमें श्रम की बहुलता है तथा और अधिक तेज कृषि विकास से कृषि क्षेत्रों में श्रम की मांग में वृद्धि होगी।

5.36 यदि सुधारों पर सलतापूर्वक अमल किया जाता है तो अनाज-भिन्न फसलों और अनाजों के अन्दर भी श्रम गहन दालों और तिलहनों की फसलों में रोजगार में वृद्धि होगी। पशु पालन, मत्स्य पालन, फूल कृषि, और बागवानी तथा

कृषि के विस्तारित क्षेत्रों में अपार रोजगार सम्भाव्यताएं विद्यमान हैं किन्तु 1990 के दशक में उनके विकास में तुलनात्मक रूप से कमी आई है। कृषि सुधारों में ऐसे कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और ऐसी रोजगार वृद्धि के लाभ क्षेत्रों के बीच और अधिक साम्या रूप से वितरित होने की उम्मीद है।

खाद्य प्रसंस्करण

5.37 खाद्य प्रसंस्करण एक महत्वपूर्ण रोजगार सृजक कार्यक्रम है। यद्यपि भारत विश्व में फलों और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है किन्तु इसका खाद्य प्रसंस्करण उद्योग अभी भी अल्प-विकसित है। कृषि में सुधारों का उद्देश्य कृषकों की और कृषि में कार्यरत व्यक्तियों की आय में वृद्धि करना है। बड़ी मात्रा में देश के कृषि उत्पाद नष्ट होने को देखते हुए खाद्य प्रसंस्करण कार्यक्रमों के किसी भी विस्तार में कृषि उत्पादों के वाणिज्यिक दृष्टि से उठान में सुधार होना चाहिए।

5.38 आश्चर्य विजली आपूर्ति का अभाव और असंतोषजनक सड़क संयोजकता, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास में दो प्रमुख बाधाएं हैं। विद्युत आपूर्ति और सड़क संयोजकता की बुनियादी ढांचागत जरूरतों का समाधान करने के अलावा, करों में छूट तथा इस उद्योग के लिये विशिष्ट सुविधाएं साथ ही साथ जरूरी हैं।

5.39 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की सफलता, खेती करने से शुरू होकर खाद्य प्रसंस्करण तक और वहां से विपणन तक एक सतत खाद्य कड़ी के साथ क्रान्तिक रूप से जुड़ी है। इस कड़ी को विकसित करने के लिए निगमों अथवा सहकारी संगठनों की जरूरत है। खाद्य प्रसंस्करण की एक संस्कृति विकसित करने के उद्देश्य से कुछ विशिष्ट मुद्दे निम्नलिखित हैं -

- यद्यपि कृषि क्षेत्रों को सभी करों से छूट (उत्पाद और आयकर जैसे) दी गई है किन्तु कृषि उत्पादों पर अनेक कर आरोपित हैं जैसे कि अवस्थापना कर, बाजार उप-कर, बिक्री कर, मण्डी कर, कारोबार कर, अन्तर-राज्य अन्तरण विनियम आदि। प्रसंस्करण के दौरान हुई मूल्य अभिवृद्धि पर उत्पाद कर, आय कर व अन्य कर लगाए जाते हैं। इस्तेमाल की जाने वाली पैकेज सामग्री पर भी भारी कर है। इन सभी करों से खाद्य उत्पादों की लागत में वृद्धि होती है और

यह समृद्धों के लिए खाद्य/वस्तु बन जाती है, जिससे इनकी मांग में कमी आती है।

○ पृष्ठ और अग्र संयोजनों के साथ ठेके पर कृषि को सुकर बनाना आवश्यक है, विशेषरूप से प्रस्तावित खाद्य पार्कों के पृष्ठ प्रदेश में, जिन्हें दसवीं योजना अवधि में स्थापित करने का प्रस्ताव है। इससे अधिक मूल्य अभिवृद्धि और कामकाज के समेकन में मदद मिलेगी।

○ खाद्य पार्कों के पृष्ठ प्रदेश में कटाई-पश्चात आधारभूत सुविधाएं प्रदान करना भी इतना ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि फसल कटाई उपस्कर, विलगन, ग्रेडिंग, पैकिंग, पूर्व-शीतलीकरण, धुलाई प्रचालन इत्यादि। इन सुविधाओं की स्थापना से खाद्य प्रसंस्करण का स्तर सुधारने, फसल कटाई पश्चात हानियों को कम करने में सुधार होगा, मूल्य अभिवृद्धि में योग मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में नए रोजगार सृजित होंगे।

○ कटाई-पश्चात हानियों को कम करने के लिए, जिनका अनुमान 50,000 करोड़ रुपए वार्षिक है, यह आवश्यक है कि प्रदीपन संयंत्रों, शीत भंडारों, जो वाष्प अवशोषी प्रौद्योगिकियों, पूर्व प्रशीतन आदि पर आधारित हों, की स्थापना के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं,

○ अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा और गुणवत्ता स्तरों के समान और उनके अनुरूप देश के उत्पादों को तैयार करने के वास्ते देश भर में कोटि परीक्षण/प्रमाणीकरण प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क स्थापित करना आवश्यक है।

○ मानक तथा स्वच्छ कोटि के खाद्य उत्पादों के वितरण के वास्ते एक खुदरा कड़ी कायम करने की तत्काल जरूरत है। इससे, ग्राहकों से अच्छे कोटि के खाद्य उत्पादों की सतत रूप से मांग पैदा होने में मदद मिलेगी।

○ खाद्य पार्कों और कृषि निर्यातक क्षेत्रों के बीच संकार्य आवश्यक है ताकि एक क्षेत्र के लिए स्थापित सुविधाओं/प्रावधानों का प्रयोग दूसरे क्षेत्र द्वारा भी हो सके ।

5.40 सरकार के अन्दर, इस क्षेत्रक के विकास और संबर्धन की जिम्मेदारी विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच फैली हुई है। ऐसे मंत्रालयों और विभागों की सौदाहरण सूची तथा उनके जिम्मेदारी वाले क्षेत्रों का उल्लेख बाक्स 5.2 में किया गया है। इसी प्रकार, इस क्षेत्रक को अभिशासित करने वाले कानूनों और विनियमों की बहुलता है। विभिन्न मंत्रालयों के कामकाज और क्षेत्रक के संबंध में विभिन्नकानूनों व विनियमों के प्रावधानों के बीच भी तालमेल कायम करने की तत्काल जरूरत है।

बाक्स 5.2

- सभी कृषि, बागवानी, पशु पालन कामकाज के संबंध में सम्पूर्ण कटाई-पश्चात अवस्थापना कृषि मंत्रालय के अधीन हैं।
- खाद्य तथा वनस्पति उत्पाद (नियंत्रण) आदेश (एफपीओ 1955), अनिवार्य वस्तु अधिनियम के तहत आता है जिसका कामकाज खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
- मांस तथा मांस उत्पाद, तथा दुग्ध उत्पाद का प्रशासन पशु पालन और डेयरी उद्योग विभाग के अधीन है।
- समुद्रीय उत्पाद तथा कृषि उत्पाद निर्यात, एमपीईडीए, एपीईडीए इत्यादि जैसे निर्यात संबर्धन प्राधिकरणों के अधीन है जो वाणिज्य मंत्रालय के अधीन आते हैं।
- राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) कृषि मंत्रालय के अधीन है।
- वनस्पति तथा तेल निदेशालय खाद्य विभाग के अधीन है।
- शर्करा, खाद्य तेल, दालें आदि भी खाद्य विभाग के अधीन हैं।

ग्रामीण कृषि-भिन्न कार्यकलाप/उद्योग, जिसमें खादी और ग्रामोद्योग, हस्तशिल्प और हथकरघे शामिल हैं तथा लघु और मझौले उद्योग, जिसमें लघु उद्योग और अनौपचारिक क्षेत्रक संस्थापन शामिल हैं

5.41 इस श्रेणी के कार्यकलाप, कृषि क्षेत्रक से बाहर, रोजगार के प्रमुख प्रदाता हैं। परम्परागत कृषि में रोजगार अवसरों में कमी के साथ इसके महत्व में वृद्धि होती है। तत्काल भविष्य में, इसके तहत नीतियों की दृढ़ता और असफलताएं देश की रोजगार स्थिति और सामाजिक स्थिति पर इसके प्रभाव को निर्धारित करेंगी।

5.42 इन कार्यकलापों में से प्रत्येक में, सरकार समर्थित संस्थाएं हैं, जिनका कार्यक्रमों और नीतियों के कार्यान्वयन का लम्बा अनुभव है। कमजोर सामाजिक वर्गों, महिलाओं, बेरोजगार युवाओं, उत्प्राप्ती कामगारों, निर्माण श्रमिकों, बंधुआ मजदूरों, बाल श्रमिक व अन्य अतिशोषित कामगारों के लिए कार्यक्रमों का ध्यान भी ऐसे ही आर्थिक कार्यकलापों पर है। आर्थिक और वाणिज्यिक अवस्थापना के लिए योजनाओं के माध्यम से लगभग सभी सहायता का संबंध- माइक्रो क्रेडिट, उप-कर प्रेरित कामगार कल्याण निधियां निम्न आय वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा बीमा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, प्रशिक्षुता, विद्युत, परिवहन तथा उद्योग के लिए ग्रामीण अवस्थापना, अन्तिम विश्लेषण में, इन कार्यकलापों से है।

5.43 इस श्रेणी के कार्यकलापों के प्रति एक संगत दृष्टिकोण से अधिकांश परिवारों की आय और रोजगार की दृष्टि से काफी अधिक लाभ प्राप्त हो सकते हैं। ऐसे बहुत सी प्रशासनिक पद्धतियां हैं जिनकी इन कार्यकलापों तक सुलभता है किन्तु एक बेहतर नाम के अभाव में इन सभी को प्रचलित नाम 'असंगठित क्षेत्रक' के अन्दर रखा जाता है, जबकि नाम का वास्तविक अर्थ गैर-निगमीकृत संस्थापनाओं से है।

5.44 कार्यबल की दृष्टि से यह क्षेत्रक अथवा वर्ग बहुत विशाल है और यह प्रतिस्पर्द्धात्मक है और इसलिए संवेदी है। ये विकेन्द्रीकृत आर्थिक कार्यकलाप, जो स्वः समायोजनशील हैं, भारतीय राजतन्त्र में तालमेल और सामाजिक स्थिरता कायम करने में पर्याप्त रूप से योग देते हैं।

5.45 निम्नलिखित खण्ड में इन आर्थिक कार्यकलापों के और आगे विकास पर चर्चा की गई है। इस श्रेणी के कामगारों और रोजगार से संबंधित अधिशासन मुद्दों और रोजगार सम्बद्ध सेवाओं के बारे में, खण्ड में श्रम नीति और श्रम कल्याण संबंधी अध्याय 3.5 में विचार किया गया है।

ग्रामीण कृषि-भिन्न कार्यकलाप/उद्योग, खादी और ग्रामोद्योग (केवीआई) सहित

5.46 ग्रामीण कृषि-भिन्न कार्यकलापों के संबंध में प्रमुख आयोजना संबंधी पहल खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से की जाती है। केवीआईसी कार्यक्रम की कारगरता में और सुधार करने के लिए आवश्यक उपाय हैं

- केवीआईसी को परम्परागत शिल्पकार आधारित कार्यकलापों पर बल देना चाहिए, क्योंकि वर्तमान कवरेज बहुत कम है।
- उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, पर्वतीय और सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए केवीआईसी द्वारा विशेष उपाय।
- केवीआई क्षेत्रक के अंतर्गत स्वयंसेवी समूहों (एसएचजी) की भागीदारी जिससे कि आधारभूत स्तर पर कार्यक्रम का विस्तार किया जा सके।
- केवीआईसी में आयोजना प्रक्रिया में लाभार्थियों-राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, सहकारी सोसाइटियों आदि को शामिल किया जाना चाहिए।
- केवीआईसी द्वारा समूह विकास दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए जिससे कि पार्श्विक और अग्रणी संयोजनों को मजबूत बनाया जा सके।
- केवीआईसी और राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों आदि के बीच अनुसंधान और विकास कड़ियां स्थापित की जानी चाहिए।
- केवीआईसी सहायताप्राप्त यूनियों का एक आईटी आधारित डाटा बैंक कायम किया जाना चाहिए जिससे कि देश भर में फैली केवीआईसी संस्थापनाओं के बीच अनुसंधान और जानकारी का प्रवाह सुकर हो सके।
- ग्रामोद्योगों के लिए नीतिगत सहायता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- एसएसआई से भिन्न एक कृषि तथा ग्रामोद्योग मंत्रालय पहले ही कायम किया जा चुका है।
- केवीआईसी को देश में पूरे ग्राम उद्योग क्षेत्रक के लिए एक नोडल एजेंसी की भूमिका निभानी चाहिए।

- खादी कार्यक्रम के सामाजिक उद्देश्य हैं और सब्सिडियों/रियायतों को इसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए।
- केवीआईसी के साथ पंजीकरण से किसी यूनिट को वही लाभ प्राप्त करने की सुविधा होनी चाहिए जो राज्य उद्योग निदेशालय के साथ प्राप्त होते हैं।
- केवीआईसी को एक निर्यात संवर्धक परिष्कार का दर्जा दिया जाना चाहिए।

लघु और मझोले उद्यम

5.47 अनेक उच्चस्तरीय समितियों ने सुझाव दिया है कि सभी लघु और मझोले उद्योगों के सम्बंध में एक समान नीति होनी चाहिए; यह केवल विनिर्माण क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि इसमें सभी कार्यकलाप- व्यापार, परिवहन और वित्तीय सेवाएं सम्मिलित होनी चाहिए।

5.48 लघु उद्योग को वित्तीय सहायता इसलिए दी जाती है क्योंकि यह श्रम-गहन और इस प्रकार रोजगार सृजक होता है। इसलिए राजकोषीय प्रोत्साहनों (उत्पाद शुल्क और आयकर), राज्य सरकार के करों, बिक्री करों, उत्पाद शुल्क और क्रेडिट सहायता, प्रौद्योगिकी विकास तथा विपणन सहायता में प्राथमिकता को सृजित रोजगार के मापदण्ड के साथ जोड़ा जाना चाहिए।

5.49 उन स्थानों पर ध्यान देने के लिए, जहां उच्च श्रमिक तीव्रता है, एक नया 'समूह विकास दृष्टिकोण' अपनाया जाना चाहिए। छोटे और सूक्ष्म उद्योगों के लाभ के लिए अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं-

- आधुनिकीकरण के लिए क्रेडिट
- सूक्ष्म यूनिटों के लिए बिना किसी ऋणाधार के क्रेडिट गारण्टी
- उद्योग एसोसिएशनों के माध्यम से स्थानीय अवस्थापना विकास
- उत्पाद गुणवत्ता के लिए परीक्षण प्रयोगशालाएं

5.50 इन उद्यम-विशिष्ट कार्यक्रमों के अलावा, परिवारों पर बल देने वाले सामान्य कार्यक्रम निम्नांकित हैं-

- निम्न आय समूहों के लिए आवासन
- सूक्ष्म वित्त
- दक्षता विकास
- स्वास्थ्य देखभाल

5.51 इन सभी कार्यक्रमों को यदि एक समूह विशेषता के अंतर्गत लाया जाए, तो बेहतर उत्पादकता, कामगारों के लिए उच्च आय और रोजगार की बेहतर गुणवत्ता की दृष्टि से अपार प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में, बहुत से कार्यक्रमों के स्थान पर जिसमें से प्रत्येक एक बहुत बड़े क्षेत्र में फैला है, दसवीं योजना में विशिष्ट समूहों में इन सूक्ष्म विकास कार्यक्रमों पर बल दिया जाएगा।

अनौपचारिक क्षेत्र के लिए क्रेडिट-सूक्ष्म क्रेडिट

5.52 सभी विकासशील देशों में एक प्रमुख समस्या यह है कि औपचारिक बैंकिंग पद्धति अनौपचारिक क्षेत्र तक की क्रेडिट जरूरतों को पूरा करने के लिए उपयुक्त नहीं है और फिर भी यह क्षेत्र कुल सृजित रोजगार में से अधिकांश के लिए उत्तरदायी है। बैंकिंग पद्धति को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे कि वह नूतन साधनों के माध्यम से अनौपचारिक क्षेत्रों में उद्यमों तक पहुंच सके। वस्तुतः यही बात जो वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्र तक उधार के लिए विनिर्दिष्ट विभिन्न लक्ष्य-उद्देश्यों का लक्ष्य है। किन्तु प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्र तक उधार ने सरकारी क्षेत्र तक बैंकों में यांत्रिकी उधार की एक संस्कृति पैदा कर दी है जिसके अंतर्गत प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्रों को दिए गए उधारों का क्रेडिट मूल्यांकन करने का बहुत कम प्रयास किया जाता है। प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्र तक उधार को और अधिक सही ढंग से परिभाषित लक्ष्य समूह तक सीमित करने का नरसिंहम समिति का सुझाव स्वीकार नहीं किया गया।

5.53 बैंकिंग प्रथाओं और प्रक्रियाओं की समीक्षा किए जाने की जरूरत है जिससे कि बैंक अनौपचारिक क्षेत्र में आर्थिक रूप से सक्षम कार्यकलापों के वास्ते उधार देने में और अधिक सक्रिय दृष्टिकोण अपना सकें। अनौपचारिक क्षेत्र को उधार देने में सहकारी क्रेडिट पद्धति एक प्रमुख भूमिका निभा सकती है किन्तु यह अधिकांश राज्यों में बहुत कमजोर पड़ गई है।

5.54 बड़ी मात्रा में अनौपचारिक क्षेत्र तक कार्यकलापों का बैंक-भिन्न वित्तीय मध्यवर्तियों द्वारा और अधिक प्रभावी ढंग से परिशोधन किया जा सकता है, जो संभवतः ऐसी मध्यवर्तियों

के साथ व्यवहार करने में समर्थ हैं, ब्याज दर चार्ज करते हुए जो एक अन्तर्निहित अधिक जोखिम भरे अनौपचारिक क्षेत्रक ऋण के प्रबंधन की ऊँची लागत को कवर करते हैं, वे ऋणाधार सम्बन्धी दावों को प्रवर्तित करने में भी समर्थ हैं। वाणिज्यिक बैंकों पर विनियामक दबावों की भी समीक्षा करनी जरूरी है जिनसे वित्तीय अनौपचारिक क्षेत्रक कार्यकलाप को उधार देने के लिए ऐसे बैंक भिन्न मध्यवर्तियों को उधार देने से रोक सकते हैं।

5.55 एक अन्य महत्वपूर्ण तन्त्र, जिसके माध्यम से बैंक अनौपचारिक क्षेत्रक की क्रेडिट जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, स्वयंसेवी समूहों का है जो अनौपचारिक क्षेत्रक कार्यकलापों के लिए सूक्ष्म क्रेडिट उपलब्ध कराते हैं। एसएचजी को बैंकों के साथ जोड़ने की एक प्रायोगिक परियोजना 1992 में शुरू की गई थी। यह परिकल्पना की गई थी कि एनजीओ एसएचजी के रूप में अपने आपको संगठित करने के लिए और वित्तपोषण हेतु बैंकों से सम्पर्क करने के लिए गरीबों के बीच क्षमता निर्माण करने में मदद दे सकते हैं। वर्ष 1992-93 में इस परियोजना के अंतर्गत कुल 255 एसएचजी को बैंकों के साथ जोड़ा गया। 30 सितम्बर 2000 को यह संख्या बढ़कर 1,21,744 हो गई। कार्यक्रम के अन्तर्गत, 1.9 मिलियन निर्धन परिवारों के लिए क्रेडिट की व्यवस्था की गई है। एसएचजी में 85% से अधिक मात्र महिला समूह हैं।

5.56 अनुभव बहुत उत्साहवर्द्धक रहा है। एसएचजी की वसूली दरें बहुत ऊँची हैं (लगभग 90%) जो ऋण वसूली सुनिश्चित करने में अभिजात दबाव को परिलक्षित करती हैं। एसएचजी द्वारा दिए गए सूक्ष्म क्रेडिट के प्रभाव अध्ययनों से गरीबों तक पहुंचने में ऋणों की कारगरता और उनके आय स्तर सुधारने की दृष्टि से सकारात्मक परिणामों का पता चलता है³। कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसके अंतर्गत क्रमिक विकास की प्रक्रिया परिकल्पित है जिसके अनुसार, परिवार एसएचजी द्वारा दिए गए सूक्ष्म क्रेडिट के माध्यम से अनौपचारिक क्षेत्रक कार्यकलापों का प्रारम्भ कर सकते हैं, किन्तु यथासमय बैंकों से सीधे ही ऋण की बड़ी मात्रा का अनुरोध कर सकते हैं।

5.57 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मुख्यधारा बैंकिंग कार्यकलाप के एक भाग के रूप में एसएचजी को बैंक उधार प्रोत्साहित

करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। एसएचजी को वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए उधार को प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्रक के उधार के एक भाग के रूप में समझा जाता है जिससे कि बैंक इस प्रकार के कार्यकलाप करने के लिए प्रोत्साहित हों। बैंकों को स्थानीय स्थितियों के अनुरूप एसएचजी के लिए प्रक्रियाएं निश्चित करने और ऋण उत्पादों का डिजाइन तैयार करने के लिए काफी नम्यता भी प्रदान की गई है। एक सूक्ष्म वित्त विकास कोषा भी नाबार्ड में स्थापित किया गया है जिसका उद्देश्य एसएचजी सदस्यों, भागीदार एनजीओ, बैंकों और सरकारी एजेंसियों को प्रशिक्षण प्रदान करना, सूक्ष्म वित्त संस्थानों को प्रारम्भिक निधियां प्रदान करना और उनके प्रारम्भिक प्रचालन घाटों को पूरा करना और एसएचजी के गठन और पोषण की लागत को वहन करना है। एसएचजी को क्रेडिट प्रदान करने का कार्यक्रम, जिसने अच्छी शुरुआत की है, अनौपचारिक क्षेत्रक को क्रेडिट प्रदान करने के लिए एक संभाव्य महत्वपूर्ण तंत्र है और इसका भविष्य में काफी विस्तार किया जाना चाहिए।

सेवा क्षेत्रक

स्वास्थ्य और पोषण सेवाएं

5.58 बड़ी संख्या में आबादी के लिए अच्छी कोटि की स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता सामाजिक विकास का एक प्रमुख संकेतक है। स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं के क्षेत्र में विद्यमान सुविधाएं, विशेषरूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही अपर्याप्त हैं। असंतोषजनक स्वास्थ्य सेवाओं अथवा उचित लागत पर इन सेवाओं के उपलब्ध न होने के आर्थिक निहितार्थ भी हैं। एनएसएसओ के डाटा से पता चलता है कि स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती लागत न केवल गरीबों के बीच बल्कि मध्यम आय वर्ग के बीच भी ऋणग्रस्तता का एक कारण है। स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की उपलब्धता और उपयोग में तीव्र अन्तर-राज्य अन्तर-जिला भिन्नताएं हैं। प्रत्येक नागरिक के लिए न्यूनतम स्तर की सुलभता प्रदान करने के लिए काफी विस्तार किए जाने की जरूरत है। इस प्रकार, सेवाओं के लिए जरूरतों की दृष्टि से यह क्षेत्रक विशाल रोजगार अवसरों का आश्वासन प्रदान करता है। उपलब्ध अवस्थापना का और अधिक कुशल ढंग से उपयोग करने की भी बहुत गुंजाइश है जिससे स्वास्थ्य सेवाओं का अधिक उपयोग किया जा सकेगा और स्वास्थ्य व सम्बद्ध कार्यकर्ताओं की मांग भी बढ़ेगी।

3 नाबार्ड, मुम्बई (2000) 'माइक्रोफाइनेंस फार रुरल पीपल एंड इम्पेक्ट इवेल्यूएशन'

बाक्स 5.3

सूक्ष्म वित्त

असंगठित क्षेत्रक में ग्रामीण निर्धन अभी तक साहूकारों के शिकंजे से उभर नहीं पाए हैं, जो अत्यधिक ब्याज दरें वसूल करते हैं। ग्रामीण निर्धनों की क्रेडिट जरूरतों की विशेषता यह है कि उनमें उत्पादन और उपभोग प्रयोजनों के बीच कोई स्पष्ट भेद विद्यमान नहीं है। जरूरतें छोटी होती हैं, किन्तु वे प्रायः अचानक ही पैदा हो जाती हैं और सामान्यतः आपात प्रकृति की होती हैं। इन क्रेडिट जरूरतों को पूरा करना, जब भी वे पैदा हों, महत्त्वपूर्ण है यदि असंगठित क्रेडिट एजेंटों पर उनकी निर्भरता कम की जानी है। तथापि, यह एक तथ्य है कि अनौपचारिक एजेंटों से उधार लेना बहुत सुविधाजनक होता है यद्यपि उनकी शर्तें कठोर होती हैं। ग्रामीण निर्धनों की क्रेडिट जरूरतें अभी भी औपचारिक क्रेडिट एजेंसियों द्वारा पूरी होती हैं और अधिकांश ग्रामीण निर्धन अभी क्रेडिट के अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर रहते हैं।

चार्टर्ड लेखाकारों की एक फर्म 'प्राइस-वाटर हाउस ऑडिटर्स' द्वारा किए गए एक अध्ययन से ग्रामीण निर्धनों द्वारा क्रेडिट उपयोग की निम्नलिखित पद्धति का पता चलता है:

- ग्रामीण निर्धनों द्वारा लिए गए कुल क्रेडिट का 63% उपभोग प्रयोजनों हेतु उपयोग में लाया जाता है।
- ग्रामीण निर्धनों द्वारा लिए गए कुल क्रेडिट का केवल 37% भाग का उपयोग उत्पादक प्रयोजनों हेतु होता है।
- ग्रामीण निर्धनों को क्रेडिट प्रवाह में संगठित क्षेत्रक का समग्र हिस्सा लगभग 16% है।

अध्ययन के अंतर्गत इस विकृति के सम्बन्ध में निम्नलिखित कारणों का पता चला:

- संगठित क्षेत्रक से उपभोग जरूरतों हेतु क्रेडिट उपलब्ध न होना
- संगठित क्षेत्रक से उधारकर्ताओं के लिए बहुत ऊंची लेन-देन लागत
- संगठित क्षेत्रक से ऋण के सम्बन्ध में शर्तों में कठोरता
- संगठित क्षेत्रक द्वारा ऋणों की मंजूरी में देरी।
- सरकार-प्रायोजित कार्यक्रमों के अंतर्गत चूकों की बहुत ऊंची दर के कारण ग्रामीण निर्धनों को क्रेडिट देने में बैंकों की ओर से हिचकिचाहट।

संगठित क्षेत्रक, जैसेकि वाणिज्यिक बैंक और विकास बैंकों से क्रेडिट की अनुपलब्धता असंगठित क्षेत्रक को क्रेडिट प्रवाहों को सीमित करती है और तदनुसार इस क्षेत्रक के उत्पादकता सुधार को सीमित करती है।

5.59 दसवीं योजना के दौरान, न केवल भौतिक अवस्थापना निर्मित करने की दृष्टि से बल्कि प्रत्येक स्वास्थ्य देखभाल केन्द्र को पर्याप्त चिकित्सीय और अर्द्ध-चिकित्सीय स्टाफ से सज्जित करने की दृष्टि से भी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधा को सर्वसुलभ बनाने के प्रयास किए जाएंगे। वहनीय लागत पर ये सेवाएं प्रदान करने में राज्य को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। किन्तु सरकारी क्षेत्रक के अंदर जनशक्ति और आधारभूत ढांचे में, विशेष रूप से दूरवर्ती, ग्रामीण, जनजातीय और शहरी मलिन बस्ती क्षेत्रों में, जहां स्वास्थ्य देखभाल की जरूरतें सर्वाधिक हैं, सतत् रूप से कमियां बनी हुई हैं। इसके साथ ही, वर्तमान में कार्मिकों और स्वास्थ्य ढांचे के बीच कोई मेल नहीं है। स्वास्थ्य सुविधा के विस्तार और विद्यमान मानदण्डों के अनुसार पर्याप्त प्रबन्धन के फलस्वरूप इस क्षेत्रक हेतु शिक्षित और कुशल जनशक्ति की मांग कायम होगी।

5.60 वस्तुतः महत्वपूर्ण बाधा राज्य सरकारों और स्थानीय प्राधिकारियों के पास संसाधनों की उपलब्धता की है। सार्वजनिक सेवाओं में प्रयोक्ता प्रभार वसूल करने और बीमा के माध्यम से जोखिम समूहीकरण के सम्बन्ध में उपायों से सरकारी संसाधनों में पूरकता आ सकती है। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रदाय पद्धति की कार्यकुशलता सुधारने के लिए नई पहलों से भी संसाधन आधार में वृद्धि होगी। अभी भी स्वास्थ्य देखभाल का एक बड़ा भाग निजी संस्थापनाओं द्वारा सेवित किया जा रहा है किन्तु सरकार से बाहर अस्पतालों का प्रबन्ध करने की योग्यता कुछेक निगमित समूहों तक सीमित रही है।

5.61 दूसरी ओर, चिकित्सीय बीमा उद्योग में व्यवसायिकता का ऐसा कोई उचित स्तर विकसित नहीं किया है जिससे बीमा के ग्राहकों के बीच विश्वास पैदा हो सके। ऐसी बीमा पद्धतियां विकसित किए जाने की जरूरत है जो निम्न आय वर्गों के लिए विशेष रूप से तैयार की जाएं। असंगठित क्षेत्रक में कामगारों की सामाजिक सुरक्षा बीमा के एक भाग के रूप में स्वास्थ्य देखभाल सहायता लागू करने से व्यक्तियों का जोखिम कम करने में और निवेश के लिए संसाधन उपलब्ध कराने में भी मदद मिलेगी।

5.62 इससे जुड़ा हुआ एक मुद्दा अर्द्ध-चिकित्सीय स्टाफ के प्रशिक्षण हेतु सुविधाओं का निर्माण करने की जरूरत का है।

शिक्षा सेवाएं

5.63 6-14 वर्ष आयु-वर्ग में लगभग 200 मिलियन बच्चों में से केवल 120 मिलियन बच्चे स्कूल जाते हैं और प्राथमिक स्तर पर निवल उपस्थिति दाखिले का केवल 66% है। सभी के लिए शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करने के वास्ते सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया है। देश की शिक्षा पद्धति को लोगों की आर्थिक जरूरतों के साथ एकीकृत करने की प्रक्रिया प्राथमिक स्कूल स्तर पर ही शुरू की जानी चाहिए। श्रम के महत्व को समझना और पाठ्यक्रमांकों को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि शिक्षा पद्धति और कार्य स्थल के बीच कोई असंगति पैदा न हो।

5.64 दसवीं योजना में प्राथमिक शिक्षा तक सर्वसुलभ पहुंच और बुनियादी स्कूल संरचना में सुधार का अर्थ प्राथमिक और अपर प्राथमिक स्कूलों के लिए 40 बच्चों के प्रत्येक समूह के वास्ते एक अध्यापक की व्यवस्था का लक्ष्य प्राप्त करना, हर बस्ती के एक किलोमीटर के अन्दर प्राथमिक/वैकल्पिक स्कूली सुविधा प्रारम्भ करना, प्राथमिक और अपर प्राथमिक स्कूल स्तर पर सभी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बच्चों और लड़कियों के लिए निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों की व्यवस्था करना, स्कूल प्रबंध समितियों के माध्यम से स्कूल भवनों का प्रबंध और मरम्मत, स्थानीय आवश्यकताओं के संदर्भ में और आधारभूत स्तर पर किए गए मूल्यांकन के अनुसार आबादी के सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्रों और दूर-दराज के इलाकों में बच्चों के लिए गैर-औपचारिक और स्कूल से बाहर की वैकल्पिक शिक्षा के अवसरों की व्यवस्था करना होगा।

5.65 अध्यापकों की नियुक्ति किए बिना मात्र स्कूलों की स्थापना देश के बहुत से भागों विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में की जाती है। इसलिए, यह जरूरी है कि स्कूलों और अध्यापकों का नियंत्रण स्थानीय निकायों को स्थानान्तरित कर दिया जाए जिनका अध्यापक नियुक्ति में सीधा हित होता है। राज्यों को संविधान के 73वें और 74वें संशोधनों को कार्यान्वित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए जिससे प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों का प्रबन्ध पंचायतों/स्थानीय निकायों को हस्तांतरित करना सुकर होता है। जिला, ब्लाक और ग्राम स्तरों पर शिक्षा की आयोजना, पर्यवेक्षण और प्रबन्ध स्थानीय निकायों के माध्यम से करना होगा। प्रौढ़ साक्षरता अभियानों तथा प्राथमिक शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु स्थानीय समुदायों को सामाजिक रूप से जुटाने के प्रयास भी किए जाने चाहिए।

5.66 शिक्षा संस्थाओं को सुविधाजनक बनाने से सम्बन्धित कानूनों, नियमों और प्रक्रियाओं को आधुनिक और सरलीकृत बनाया जाना चाहिए जिससे कि ईमानदार और निष्ठावान व्यक्ति तथा संगठन, विश्वविद्यालयों, कालेजों और स्कूलों की स्थापना कर सकें। फीसों, अध्यापक वेतनों, अवस्थापना और स्टाफ की संख्या पर से नियंत्रण हटा दिया जाना चाहिए। सामान्य व्यक्तियों को और अधिक आजादी के साथ काम करने की छूट देते हुए विनियामक पद्धति में धोखाधड़ी का पता लगाने और दण्ड पर भी ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए।

व्यावसायिक प्रशिक्षण सेवाएं

5.67 श्रमिक बल में नए प्रवेशकर्ताओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में जरूरत शेष रहती है, क्योंकि लगभग 5% अथवा इतने ही व्यक्ति किसी प्रकार के औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ कार्य के जगत में प्रवेश करते हैं। यदि नियोक्तागण शैक्षिक अवस्थापना और श्रमिक प्रशासन इकट्ठे हो जाएं, तो इस कमी को पूरा किया जा सकता है।

5.68 10³ स्तर पर स्कूलों से तैयार होकर निकलने वाले बच्चों की संख्या 15 से 17 वर्ष आयु-वर्ग का केवल एक छोटा सा भाग है। किन्तु 6-14 वर्ष आयु-वर्ग में अनिवार्य शिक्षा लागू करने के बाद, जो दसवीं योजना का एक लक्ष्य है, शिक्षित व्यक्तियों के लिए समुचित व्यवसायों में युवाओं के उपयोग पर विचार किया जाना है। शिक्षित युवा शारीरिक परिश्रम अथवा छोटे-मोटे व्यवसाय की तुलना में बेहतर व्यवसाय चुन सकते हैं। उन्हें आर्थिक कार्यकलापों की मुख्यधारा के साथ जोड़ने के लिए कुछ प्रकार की उत्पादन और व्यावसायिक दक्षताएं प्रदान करना जरूरी है। वर्तमान दृष्टिकोण अधिकांश युवाओं को एक उच्च तकनीकी, चिकित्सीय अथवा प्रबन्ध शिक्षा पद्धति के माध्यम से तैयार करने का है। उच्च शिक्षा वाले युवाओं के बीच बेरोजगारी के बढ़ते भार के साथ-साथ प्रशिक्षित तकनीशियनों, अर्द्ध-चिकित्सकों, लेखाकारों, बीमा, बिधिक व अन्य वाणिज्यिक सहायकों का भी अभाव है। इस समय इन आवश्यकताओं की पूर्ति उन व्यक्तियों को नियुक्त करके की जाती है जो काम के साथ-साथ अनुभव के जरिए अपेक्षित दक्षताएं प्राप्त करते हैं और ऐसे अवसर उन युवाओं तक सीमित हैं जो किसी प्रकार अच्छे संस्थापन में प्रवेश पा लेते हैं।

5.69 शिक्षा के एक भाग के रूप में व्यवसायीकरण की स्कीमों

का परीक्षण किया गया है, किन्तु ये सफल नहीं हुई है क्योंकि अपेक्षित उपस्कर और अध्यापक, जिन्हें अपेक्षित कार्य अनुभव हो, उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त, स्कूल शिक्षा के एक भाग के रूप में छात्रों में व्यावसायिक विधा के प्रति निम्न प्राथमिकता होती है। अन्य दृष्टिकोण प्रशिक्षुता स्कीम का है जिसके अन्तर्गत शिक्षित अथवा प्रशिक्षित युवाओं को संस्थापनाओं में रखा जा सकता है। संस्थापनाओं से प्रशिक्षुओं को एक वृत्तिका अदा करनी होती है, इसके अन्तर्गत सीटों की संख्या बहुत कम रही है। उद्यमी कार्यकलाप के एक भाग के रूप में व्यावसायिक प्रशिक्षण को और प्रोत्साहन देने से रोजगार अवसर सुलभ हो सकते हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी

5.70 रोजगार सृजन में सूचना प्रौद्योगिकी का संभावित योगदान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का है। सूचना प्रौद्योगिकी का अप्रत्यक्ष प्रभाव, प्रत्यक्ष प्रभाव से कहीं ज्यादा है। अमरीका में, अनुमान है कि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में सृजित प्रत्येक प्रत्यक्ष रोजगार की तुलना में अप्रत्यक्ष रोजगार की मात्रा तीन से चार गुना होती है। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी के संवर्धन के तहत अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के विकास द्वारा सृजित सूचना प्रौद्योगिकी-भिन्न रोजगार शामिल नहीं हैं।

5.71 यह माना गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी प्रत्येक वर्ष लगभग 0.2 मिलियन रोजगार का योगदान करेगी और दसवीं योजना के अन्त में लगभग एक मिलियन का योगदान अतिरिक्त प्रत्यक्ष रोजगार के रूप में करेगी।

5.72 सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) की वास्तविक रोजगार क्षमता तब प्राप्त होगी जबकि ऐसी सेवाएं भारतीय जनसाधारण द्वारा अपेक्षित सामुदायिक, सामाजिक और वैयक्तिक सेवाओं की सहायता करें। एक डिजिटल डिवाइड का मुद्दा है, जिस पर अभी तक भारत में पर्याप्त नीतिगत ध्यान नहीं दिया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषाहार, आवासन, वास्तविक सम्पदा, बैंकिंग, बीमा व अन्य वैयक्तिक सेवा में आईसीटी के उपयोग के संबंध में बहुत से प्रयास किए गए हैं। तथापि, वे सभी एक निम्न बजट उपभोक्ता के परिप्रेक्ष्य में तैयार नहीं किए गए हैं। प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान की लागत बहुत अधिक है। आईसीटी के सम्बन्ध में आयोजना का वास्तविक प्रयोजन जिसका उद्देश्य डिजिटल डिवाइड को संकीर्ण और समाप्त करना है, निष्फल हो जाएगा यदि इस मुद्दे पर इसके समुचित परिप्रेक्ष्य में विचार न किए जाए।

पर्यटन: घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय

5.73 पर्यटन के विकास पर प्राथमिकता के आधार पर विचार किए जाने की जरूरत है, क्योंकि भारत में पर्यटन की क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया गया है जिसका उन क्षेत्रों के विकास के लाभार्थ सफलतापूर्वक दोहन किया जा सकता है जो पर्यटन आकर्षणों के संभाव्य स्तरों के बावजूद अल्पविकसित रहे हैं। पर्यटन स्थलों के विकास का रोजगार प्रभाव बहुत अधिक हो सकता है क्योंकि यह कार्यकलाप अपने आप में ही श्रम गहनता वाला है और इसके पृष्ठ तथा अग्र आर्थिक संयोजन भी काफी विस्तृत हैं।

5.74 दसवीं योजना के दौरान पर्यटन केन्द्रों के विकास में सरकारी निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने पर ध्यान दिया जाएगा, जिसमें सरकार एक सक्रिय सुविधा प्रदानकर्ता और उत्प्रेरक होगी, जिसका अंतिम लक्ष्य विश्व स्तर की अवसंरचना करना और नूतन उत्पाद सृजित करना होगा।

आवासन, वास्तविक सम्पदा विकास और निर्माण

5.75 वास्तिक सम्पदा विकास और निर्माण एक दूसरे से जुड़े कार्यकलाप हैं और रोजगार गहन भी हैं। दुर्भाग्यवश, आवासन और वास्तविक सम्पदा क्षेत्रक का विकास और वृद्धि पुराने पड़ गए कानूनों और भूमि विकास को अधिशासित करने वाली नीतियों और किराया नियंत्रण द्वारा गम्भीर रूप से बाधित है, जिसकी वजह से बाजार पिछड़ गया है और बहुत सी अवांछनीय प्रथाएं फैल गई हैं।

5.76 निर्माण कार्यकलाप वास्तविक सम्पदा के बाजार द्वारा बहुत प्रभावित हैं। भू-परिसीमन अधिनियम को हाल ही में रद्द किए जाने से, जिसे संभवतः राज्यों द्वारा भी कार्यान्वित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य भूमि बाजार को मुक्त करना है, वास्तविक सम्पदा कार्यकलापों को काफी बढ़ावा मिलेगा। किराया नियंत्रण अधिनियम के प्रस्तावित रद्दकरण से इस क्षेत्र का विकास और प्रोत्साहित होगा। नगरों को प्रोत्साहन देने तथा शहरी क्षेत्रक विकास के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए दसवीं योजना में प्रोत्साहित पैकेज में ग्रामीण भूमि को शहरी प्रयोग के लिए बदलने की चयनात्मक स्वतंत्रता की सिफारिश करने, सम्पत्ति के हस्तांतरण पर स्टाम्प ड्यूटी कम करने और नगरों के निजी विकास को सुकर बनाने के लिए एक प्रस्ताव विचाराधीन है। इन सभी से वास्तविक सम्पदा

विकास में वृद्धि होगी और इस प्रकार निर्माण के लिए अधिक मांग बढ़ेगी।

5.77 देखा गया है कि संगठित और यंत्रिकृत खण्ड में बहुत निम्न रोजगार नम्यता है और इस समय इस क्षेत्रक में रोजगार सृजन में इसका बहुत कम योगदान है जबकि असंगठित खण्ड में रोजगार नम्यता बहुत ऊंची है, किन्तु दुर्भाग्यवश, उनकी मजदूरी दरें बहुत कम हैं, जिसकी वजह से इस खण्ड में कम उत्पादकता तथा समुचित विधायी सुरक्षाओं के अभाव में नियोक्ताओं द्वारा श्रमिकों का अत्यंत शोषण है।

5.78 बड़े यंत्रिकृत कार्यकलाप और छोटे तथा मझोले दोनों ही प्रकार के कार्यकलापों की अपनी अलग भूमिकाएं हैं और दोनों ही साथ-साथ चलेंगे। पुलों, बड़ी सिंचाई तथा बांध निर्माण, ऊंची-ऊंची इमारतों आदि के क्षेत्र में बड़े यंत्रिकृत निर्माण कार्यकलाप अपरिहार्य होंगे। किन्तु इसके साथ ही, ग्रामीण सड़क निर्माण, कम लागत पर आवासन, लघु सिंचाई आदि जैसे क्षेत्रों में यंत्रिकृत न्यूनतम सुधार के साथ छोटे निर्माण यूनिट प्रयोजन सिद्ध कर सकते हैं और अधिक रोजगार पैदा करने की जरूरत को पूरा कर सकते हैं।

सड़क परिवहन और सड़क निर्माण

5.79 परिवहन और सम्बद्ध कार्यकलाप लगभग 15 मिलियन व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराते हैं। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा सड़क द्वारा माल और यात्रियों के परिवहन में लगे लोगों का है। इसमें दसवीं योजना अवधि के दौरान तीन से चार मिलियन तक अतिरिक्त रोजगार अवसरों की क्षमता है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के विभिन्न खण्डों के पूरा हो जाने पर यातायात प्रवाह और उसके फलस्वरूप रोजगार अवसरों में इस पूर्वानुमान से कहीं अधिक वृद्धि हो सकती है।

5.80 यह कार्यकलाप अत्यन्त विकेन्द्रीकृत है और कार्य की स्थितियां कठोर हैं; इसमें गम्भीर जोखिम है। क्योंकि इस कार्यकलाप का प्रशासन राज्य परिवहन प्राधिकारियों के हाथ में है, इसलिए रोजगार की स्थितियों पर कोई महत्वपूर्ण ध्यान नहीं दिया जाता। तथापि, परिवहन कार्यकलाप में पर्याप्त संसाधनों का सृजन हुआ है। निर्माण कामगारों की तरह ही परिवहन कामगारों के लिए कल्याण उपायों पर ध्यान देने की जरूरत है।

वितरणात्मक और खुदरा व्यापार

5.81 'व्यापार, होटल और जलपानगृह' कार्यकलापों के समूह ने अनुमानतः लगभग 41 मिलियन व्यक्तियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए हैं। नव उभरते उद्योगों, प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद, दूध और दुग्ध उत्पाद, खादी और ग्रामोद्योग उत्पाद के लिए एक विक्रय स्थल प्रदान करने में व्यापार के महत्व का पहले उल्लेख किया जा चुका है। उपभोक्ता उत्पाद और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं तैयार करने वाली बड़ी I.F.K.V. ने अपनी स्वयं की खुदरा कड़ियां कायम कर ली हैं, जैसेकि केवीआईसी, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी), जूता उद्योग इत्यादि। किन्तु उत्पाद-विशिष्ट भण्डारों का ऊपरी खर्च बहुत अधिक है। अन्य बड़ी निगमित फर्मों ने जो अनेक वैयक्तिक प्रसाधन की अनेक वस्तुओं, खाद्य तेल, खाद्य उत्पाद और आटोमोबाइल आदि में व्यापार करते हैं, थोक बिक्री व्यापार को दरकिनार करते हुए, खुदरा व्यापार के साथ सीधे ही व्यवस्था कायम कर ली है।

5.82 cMh jkstxkj {kerk dks ns[krs gq] forj.kRed vksj [kqjk 0; ki kj l s l a f i / r u h f r ; k a i j d k i O n f o l r k j l s p p k z g b z g a , d c g r j 0 ; o f l f k r [k q j k 0 ; k i k j l s ; p k v k a d s f y , ; k r k s l o j k s t x k j d s : i e a v f k o k n p k u i c a / d k j i ; b s k d k a v k j l g k ; d k a d s : i e a c M h l a ; k e a y k h k i n j k s t x k j d s v o l j i k l r g k l d r s g a अभी तक संगठित खुदरा व्यापार

संस्थापन सरकारी क्षेत्रक- सरकार की स्वामित्ववाली सोसाइटियों, बाजारों और एम्पोरियमों तक सीमित रहे हैं। किन्तु इनमें से अनेक सीधी वित्तीय सहायता अथवा सरकार से क्रय कीमत प्राथमिकता कम होने पर फेल हो गए। छोटे और मझोले कस्बों तथा महानगरों में खुदरा कड़ियां स्थापित करने के लिए निजी निगमित क्षेत्रक को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। किराए, भूमि उपयोग, सम्पत्ति अधिग्रहण और बैंक वित्त नीतियों से संबंधित कानूनों में अपेक्षित परिवर्तन किए जा सकते हैं जिससे कि खुदरा बिक्री का प्रमुख कार्यकलाप सम्पत्ति, मालिकों तक सीमित न रहे (स्थानीय सरकारें भी शामिल हैं), जिससे प्रवेश लागत बहुत ऊंचे स्तरों पर रहती है। इस प्रक्रिया में उन लोगों के लाभ प्रद और उत्पादक रोजगार को हानि पहुंचती है जो दुकानों में काम करते हैं क्योंकि निश्चित लागत नए उद्यमों के अधिकांश संसाधनों को समा लेती हैं।

(III) श्रम-गहन कार्यकलाप शुरू करके अतिरिक्त रोजगार अवसरों का सृजन

5.83 दसवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के दौरान किए गए कार्य से कतिपय क्षेत्रों में विकासात्मक उपायों की जरूरत का पता चला। रोजगार अवसरों के सृजन के संबंध में योजना आयोग के विशेष समूह ने इनसे रोजगार की क्षमता का अनुमान लगाया है (तालिका 5.5)।

तालिका 5.5

दसवीं योजना के दौरान 'कार्यक्रम सृजित' वृद्धिकारी रोजगार

विकासात्मक उपाय	रोजगार अवसर (मिलियन)
कृषि और सम्बद्ध कार्यकलाप	3.55
कृषि वानिकी के माध्यम से देश को हरित बनाना	3.50
बायो-मास विद्युत उत्पादन के लिए ऊर्जा बागान	2.01
ग्रामीण क्षेत्रक और लघु तथा मझोले उद्योग	7.06
शिक्षा और साक्षरता	1.70
सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, आईसीटी विकास के जरिए रोजगार	0.70
स्वास्थ्य, परिवार और बाल कल्याण सेवाएं	0.80
जोड़	19.32

5.84 ये पूर्वानुमान संबंधित क्षेत्रकीय मंत्रालयों के परामर्श से लगाए गए हैं। उप-क्षेत्रक स्तर पर विवरण संलग्नक 5.19 में दिया गया है।

5.85 कृषि क्षेत्रक में अनाजों से खेती को तिलहनों और दालों में बदलने से श्रम की आवश्यकता में वृद्धि होती है। वर्षापोषित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय वाटरशेड विकास परियोजना से भूमि और जल संसाधनों, जैसेकि पुश्ता निर्माण, चैक बांध, जल दोहन इमारतों, नर्सरियों इत्यादि के संरक्षण और विकास से संबंधित कार्यक्रमों के माध्यम से प्रत्यक्ष रोजगार पैदा होता है। पूर्वी राज्यों के लिए खेत पर जल प्रबंधन एक नया कार्यक्रम है जिसमें उथले ट्यूबेलों और पम्पसेटों, निम्न लिफ्ट सिंचाई की स्थापना, पम्प डीजल पम्पसेटों की स्थापना और डगवैलों का निर्माण शामिल है। बागवानी के अधीन क्षेत्र में वृद्धि की जाएगी। कृषि क्लिनिक, बीज प्रमाणीकरण, बीज उत्पादन और वितरण के प्रयोजनार्थ प्रशिक्षित कृषि स्नातकों की सेवाएं प्रदान करेंगे। ट्रैक्टरों सहित कृषि मशीनरी के अनुरक्षण और प्रचालन के लिए कुशल जनशक्ति की भी आवश्यकता होगी।

5.86 दसवीं योजना के दौरान 10 मिलियन हैक्टेयर अवनत वनों को फिर से पैदा करने का प्रस्ताव है। भारत, पादप विविधता के 8 विनिर्धारित विश्व केन्द्रों में से एक है। सभी प्रकार की नैदानिक, खाद्य उर्वरकों, प्रसाधन, सौन्दर्य प्रसाधन और न्यूट्रासियूटिकलों और पशु चिकित्सा औषधि का उत्पादन करने के लिए औद्योगिक पौधों की परियोजनाएं की जा सकती हैं। काष्ठ के स्थान पर बांस का उपयोग एक व्यवहार्य विकल्प है। यद्यपि इसके लिए बांस की खेती का विकास करने की जरूरत है।

5.87 ऊर्जा के लिए बायोमास के उत्पादन में वृक्षों की खेती शामिल है, जैसेकि कसुरिना, इक्विसेटिपोलिया और झाड़ीदार फसलें, जैसेकि परोसोपिस, जुलिफ्लोरा और सीमान्तिक वेस्टलैण्डों पर कसुरिना वृक्षों की खेती। ऐसी खेती से दस से बारह मेगावाट विद्युत संयंत्रों को समर्थन मिल सकता है। ईंधन बागानों से बायो ईंधन इथानोल के उत्पादन का भी सुझाव है।

5.88 ग्रामीण क्षेत्रकों में, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई), स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्व-रोजगार योजना (एसजीएसवाई) से 2.86 मिलियन तक के वृद्धिकारी रोजगार अवसर पैदा होने की उम्मीद है। केवीआईसी के ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, पीएमआरवाई और लघु तथा मझोले उद्यमों के विकास हेतु नए उपायों से दसवीं योजना के दौरान 4.2 मिलियन अतिरिक्त रोजगार अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

5.89 प्रारम्भिक शिक्षा के विस्तार, शिक्षकों और जनशक्ति आवश्यकता को संसाधन केन्द्रों में प्रशिक्षित करने से दसवीं योजना अवधि के दौरान 1.7 मिलियन अतिरिक्त रोजगार अवसर पैदा होंगे। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तथा स्वास्थ्य और बाल देखभाल सेवाओं से 1.5 मिलियन अतिरिक्त रोजगार अवसरों का सृजन होगा।

5.90 ये उपाय विशिष्ट विकासात्मक जरूरतों के लिए आवश्यक हैं तथा दो (एसजीआरवाई और एसजीएसवाई), के अलावा ये विशेष रोजगार कार्यक्रमों की श्रेणी में नहीं आते। ब्योरे संबंधित अध्यायों में दिए गए हैं।

5.91 इन क्षेत्रकों के परिणामों में वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए क्षेत्रकीय नीतिगत पहलों पर पूर्व खण्डों में विचार किया गया है। विगत में देखी गई रोजगार प्रवृत्तियों के आधार पर दसवीं योजना के 8% जीडीपी वृद्धि लक्ष्य के अनुरूप इन क्षेत्रकों के विकास से 30 मिलियन अतिरिक्त रोजगार अवसर पैदा होंगे। किन्तु इसका अर्थ बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि करना होगा। वर्ष 2002 में बेरोजगारी की दर 9.2 प्रतिशत से बढ़कर 9.8% हो जाएगी (संलग्नक 5.14)। इसलिए, श्रम गहन कार्यक्रमों शुरू करके अतिरिक्त रोजगार अवसरों का सृजन कर बेरोजगारी के भार को 5.1% तक कम करना अपेक्षित है। ऊपर विनिर्धारित विकासात्मक पहलों में परियोजनाएं कार्यान्वित करने को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।

सीडीएस आधार पर रोजगार और बेरोजगारी के संबंध में विगत और वर्तमान वृहत् स्थिति

(व्यक्ति वर्ष)

	(मिलियन)			प्रतिवर्ष वृद्धि (%)	
	1983	1993-94	1999-2000	1983 to 1993-94	1993-94 to 1999-2000
अखिल भारत					
जनसंख्या	718.20	894.01	1003.97	2.00	1.95
श्रमिक बल	261.33	335.97	363.33	2.43	1.31
कार्य बल	239.57	315.84	336.75	2.70	1.07
बेरोजगारी दर (प्रतिशत)	(8.3)	(5.99)	(7.32)		
बेरोजगारी की संख्या	21.76	20.13	26.58	-0.08	4.74
ग्रामीण					
जनसंख्या	546.61	658.83	727.50	1.79	1.67
श्रमिक बल	204.18	255.38	270.39	2.15	0.96
कार्य बल	187.92	241.04	250.89	2.40	0.67
बेरोजगारी दर (प्रतिशत)	(7.96)	(5.61)	(7.21)		
बेरोजगारी की संख्या	16.26	14.34	19.50	-1.19	5.26
शहरी					
जनसंख्या	171.59	234.98	276.47	3.04	2.74
श्रमिक बल	57.15	80.60	92.95	3.33	2.40
कार्य बल	51.64	74.80	85.84	3.59	2.32
बेरोजगारी दर (प्रतिशत)	(9.64)	(7.19)	(7.65)		
बेरोजगारी की संख्या	5.51	5.80	7.11	0.49	3.45

टिप्पणी : सभी अनुमान सीडीएस (चालू दैनिक स्थिति आधार) पर हैं। कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रतिशतता दर्शाते हैं।

स्रोत : एनएसएसओ और जनसंख्या गणना

वर्तमान क्षेत्रकीय रोजगार स्थिति (1999-2000)

क्षेत्रक	1983 से 1993-94 के बीच रोजगार नम्यता		1993-94 से 2000 के बीच रोजगार नम्यता		वर्तमान क्षेत्रकीय स्थिति (सीडीएस)		संगठित		कुल क्षेत्रकीय रोजगार की तुलना में सरकारी क्षेत्र %		कुल संगठित की तुलना में सरकारी क्षेत्र का %		निरपेक्ष रोजगार % संघटना		क्षेत्रकीय जीडीपी विकास 1993-94 से 2000	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	0.70	0.01	151.35	190.72	190.94	0.52	0.87	1.39	0.73	0.27	37.16	62.84	56.70	2.90	3.10	
1. कृषि	0.70	0.01	151.35	190.72	190.94	0.52	0.87	1.39	0.73	0.27	37.16	62.84	56.70	2.90	3.10	
2. खनन और उत्खनन	0.59	-0.41	1.74	2.54	2.26	0.93	0.09	1.01	44.69	41.15	91.41	8.59	0.67	6.20	4.70	
3. विनिर्माण	0.38	0.33	27.69	35.00	40.79	1.57	5.18	6.75	16.55	3.95	23.25	76.75	12.11	6.00	7.80	
4. बिजली, गैस और जल आपूर्ति	0.63	-0.52	0.83	1.43	1.15	0.96	0.04	1.00	96.96	83.48	95.91	4.09	0.34	8.40	6.80	
5. निर्माण	0.86	0.82	7.17	11.02	14.95	1.11	0.07	1.18	7.90	7.42	93.97	6.03	4.44	4.90	6.30	
6. व्यापार, होटल और जलपान गृह	0.68	0.62	18.17	26.88	37.54	0.16	0.32	0.49	1.31	0.43	33.54	66.46	11.15	5.60	9.20	
7. परिवहन, भण्डारण और संचार	0.55	0.63	6.99	9.88	13.65	3.08	0.07	3.15	23.08	22.56	97.81	2.19	4.05	6.10	8.70	
8. वित्तपोषण, बीमा वास्तविक सम्यदा और व्यवसाय सेवाएं	0.45	0.64	2.10	3.37	4.62	1.30	0.36	1.65	35.71	29.14	78.34	21.66	1.38	10.10	8.40	
9. सामुदायिक, सामाजिक और वैयक्तिक सेवाएं	0.68	-0.25	23.52	34.98	30.84	9.79	1.70	11.49	37.26	31.74	85.21	14.79	9.16	5.70	8.40	
कुल	0.52	0.16	239.57	315.84	336.75	19.42	8.70	28.11	8.34	5.77	69.06	30.94	100.00	5.20	6.70	

स्रोत: राष्‍ट्रीय खाता, सीएसओ

एनएसएसओ: विभिन्न चक्र

जीडीपीइंडेटी श्रम मंत्रालय

1981-1991 और 1991-2001 के बीच कार्य बल वृद्धि (जनगणना आधारित)

शीर्ष	1981	1991	प्रतिशत वृद्धि 1981-91	2001	प्रतिशत वृद्धि (1991-2001)
1. जनसंख्या (मिलियन)	683.33	846.30	2.16	1025.25	1.94
2. भागीदारी दरें (%) (मुख्य श्रमिक)	33.50	34.10	0.18	30.50	-1.11
3. कार्यबल (मिलियन) (मुख्य श्रमिक)	228.92	288.59	2.34	312.70	0.81
4. सीमान्तिक श्रमिकों की संख्या (%) भागीदारी दरें	3.20	3.40	0.61	8.70	9.85
5. सीमान्तिक श्रमिकों की संख्या (मिलियन)	21.87	28.77	2.78	89.20	11.98

स्रोत: जनसंख्या गणना (1981, 1991 : 2001)

प्रमुख राज्यों के सम्बन्ध में कार्यबल में वृद्धि 1991-2001 (जनगणना आधारित) (मुख्य श्रमिक)

राज्य	कार्यबल वृद्धि	राज्य	कार्यबल वृद्धि
आन्ध्र प्रदेश	0.19	मध्य प्रदेश	0.47
असम	0.13	महाराष्ट्र	1.41
बिहार	0.72	उड़ीसा	-0.81
गुजरात	1.46	पंजाब	2.53
हरियाणा	2.83	राजस्थान	2.28
हिमाचल प्रदेश	1.00	तमिलनाडु	0.38
कर्नाटक	1.13	उत्तर प्रदेश	0.11
केरल	-0.08	पश्चिम बंगाल	1.16
		अखिल भारत	0.81

स्रोत: जनसंख्या गणना (1991 तथा 2001)

संलग्नक 5.4

श्रमिकों की वृद्धि-आर्थिक जनगणना

	1980	1990	1998
ग्रामीण*			
श्रमिक (मिलियन)	24.20	32.20	38.10
वृद्धि (%)		2.88	2.15
शहरी			
श्रमिक (मिलियन)	29.00	38.20	42.50
वृद्धि (%)		2.81	1.34
संयुक्त			
श्रमिक (मिलियन)	53.20	70.40	80.60
वृद्धि (%)		2.84	1.71

टिप्पणी: *आर्थिक जनगणना सम्बन्धी ग्रामीण क्षेत्रक में फार्म क्षेत्रक तथा पौधारोपण सम्मिलि नहीं है।

स्रोत: आर्थिक जनगणना

संलग्नक 5.5

कुल रोजगार तथा संगठित क्षेत्रक रोजगार विकास दर (प्रतिशत वार्षिक)

शीर्ष	1983 to 1993-94	1993-94 to 1999-2000
कुल जनसंख्या	2.00	1.95
कुल श्रमिक बल	2.43	1.31
कुल रोजगार	2.70	1.07
संगठित क्षेत्रक रोजगार *	1.20	0.53
सरकारी क्षेत्रक	1.52	(-) 0.03
निजी क्षेत्रक	0.45	1.87

टिप्पणी: * संगठित क्षेत्रक रोजगार वृद्धि दरें 31.3.1983 से 31.3.1994 तथा 31.3.1994 से 31.3.1999 के कार्यकाल के अनुरूप हैं

स्रोत: डीजीई तथा टी, श्रम मंत्रालय

सीडीएस आधार पर क्षेत्रकीय रोजगार $uE; rk$

क्षेत्रक	रोजगार मूल्य सापेक्षता		
	1983	1983	1993-94
	से	से	से
	1987-88	1993-94	1999-2000
कृषि	0.87	0.70	0.01
उत्खनन तथा खनन	1.25	0.59	-0.41
विनिर्माण	0.59	0.38	0.33
विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति	0.30	0.63	-0.52
निर्माण	2.81	0.86	0.82
व्यापार, होटल तथा रेस्तराँ	0.87	0.68	0.62
परिवहन, भण्डारण तथा संचार	0.47	0.55	0.63
वित्तपोषण, बीमा, वास्तविक सम्पदा तथा कारोबार सेवाएं	0.49	0.45	0.64
सामुदायिक, सामाजिक तथा			
वैयक्तिक सेवाएं	0.52	0.68	-0.25
समग्र	0.68	0.52	0.16

टिप्पणी : मरम्मत सेवाओं के श्रमिकों के समायोजन के बाद नम्यता में बदलाव आ सकता है।

स्रोत: एनएसएसओ (रोजगार वृद्धि दरों का अनुमान लगाने के लिए) तथा एनएसएस (जीडीपी वृद्धि दरों का अनुमान लगाने के लिए)

ग्रामीण भारत में दैनिक मजदूरी वृत्ति की औसतन वृद्धि (1993-94 की कीमतों पर)

(प्रतिशत प्रति वर्ष)

	ग्रामीण पुरुष		ग्रामीण प्रति वर्ष	
	1987-88 to 1993-94	1993-94 to 1999-00	1987-88 to 1993-94	1993-94 to 1999-00
सार्वजनिक कार्य	1.55	3.83	1.90	5.04
कृषि में आकस्मिक श्रमिक	1.36	2.80	2.34	2.94
गैर-कृषि आकस्मिक श्रमिक	1.33	3.70	1.32	5.07
सभी कार्यकलापों में आकस्मिक श्रमिक	0.77	3.59	1.95	3.19

स्रोत: एनएसएसओ

सीडीएस आधार पर युवाओं (15-29 वर्ष) में बेरोजगारी दर
(1999-2000)

आयु वर्ग (वर्ष)	बेरोजगारी दर (श्रमिक बल का प्रतिशत)	
	पुरुष	महिला
	ग्रामीण भारत	
15-19	13.10 (9.00)	12.80 (8.30)
20-24	11.70 (10.30)	12.10 (8.20)
25-29	9.20 (7.70)	7.70 (6.50)
15-29	11.10 (9.00)	10.60 (7.60)
	शहरी भारत	
15-19	19.00 (16.20)	18.00 (18.60)
20-24	17.10 (17.00)	25.90 (28.50)
25-29	10.30 (9.30)	13.10 (15.50)
15-29	14.70 (13.70)	19.10 (21.20)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े एनएसएसओ, 50वें चक्र (1993-94) की तदनुस्वी दरें दर्शाते हैं।

स्रोत: एनएसएसओ

प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में वर्तमान दैनिक बेरोजगारी दरों की स्थिति
(1999-2000)

राज्य	बेरोजगारी दर (श्रमिक बल का प्रतिशत)					
	ग्रामीण			शहरी		
	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	8.10	8.10	8.10	7.20	8.90	7.60
असम	6.40	12.50	7.40	9.90	21.90	11.90
बिहार	7.20	6.20	7.00	8.70	13.50	9.30
गुजरात	5.10	4.20	4.80	4.00	5.40	4.20
हरियाणा	5.30	1.80	4.70	4.50	4.90	4.50
हिमाचल प्रदेश	3.40	9.00	2.40	7.00	11.90	7.80
कर्नाटक	4.40	4.00	4.30	5.30	5.90	5.40
केरल	20.00	26.10	21.70	15.50	28.20	19.10
मध्य प्रदेश	4.00	3.50	3.80	7.20	5.70	7.00
महाराष्ट्र	6.30	6.90	6.50	7.70	10.00	8.10
उड़ीसा	7.60	5.60	7.10	9.80	8.20	9.50
पंजाब	4.20	1.70	3.70	4.80	5.30	4.90
राजस्थान	3.30	1.90	2.80	4.70	3.50	4.50
तमिलनाडु	14.30	12.30	13.50	9.00	8.60	8.90
उत्तर प्रदेश	4.00	2.10	3.60	6.30	5.00	6.20
पश्चिम बंगाल	15.20	25.10	17.00	10.00	13.90	10.60
अखिल भारत	7.20	7.00	7.10	7.30	9.40	7.70

स्रोत: एनएसएसओ

प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में युवाओं (15-29 आयु) के बीच की
वर्तमान दैनिक स्थिति बेरोजगारी दर (1999-2000)

(ग्रामीण)

राज्य	बेरोजगारी दर (अभिक बल का प्रतिशत)		
	पुरुष	महिला	व्यक्ति
आन्ध्र प्रदेश	10.80	8.70	9.90
असम	12.30	24.90	14.60
बिहार	11.50	8.80	11.00
गुजरात	6.80	6.40	6.70
हरियाणा	9.00	2.40	8.10
हिमाचल प्रदेश	8.10	2.80	6.10
कर्नाटक	6.00	5.60	5.80
केरल	32.30	45.80	36.30
मध्य प्रदेश	5.40	4.00	4.90
महाराष्ट्र	11.30	8.90	10.40
उड़ीसा	12.60	8.40	11.30
पंजाब	8.00	3.60	7.00
राजस्थान	5.00	3.30	4.40
तमिलनाडु	19.70	15.30	18.10
उत्तर प्रदेश	6.80	2.00	6.10
पश्चिम बंगाल	23.00	39.10	26.60
अखिल भारत	11.10	10.60	11.00

स्रोत: एनएसएसओ

प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में युवाओं (15-29 आयु) के बीच की
वर्तमान दैनिक स्थिति बेरोजगारी दर (1999-2000)

(शहरी)

राज्य	बेरोजगारी दर (श्रमिक बल का प्रतिशत)		
	पुरुष	महिला	व्यक्ति
आन्ध्र प्रदेश	14.30	16.70	14.80
असम	22.40	42.70	26.60
बिहार	24.00	28.00	24.40
गुजरात	8.00	11.40	8.50
हरियाणा	8.00	9.90	8.30
हिमाचल प्रदेश	16.80	37.50	20.50
कर्नाटक	10.40	10.30	10.50
केरल	26.60	50.40	34.30
मध्य प्रदेश	14.90	12.30	14.60
महाराष्ट्र	15.60	21.10	16.50
उड़ीसा	26.80	20.10	25.50
पंजाब	8.90	13.90	9.50
राजस्थान	8.40	10.40	8.80
तमिलनाडु	15.50	15.60	15.60
उत्तर प्रदेश	12.40	12.70	12.50
पश्चिम बंगाल	23.40	27.20	24.00
अखिल भारत	14.70	19.10	15.40

स्रोत: एनएसएसओ

परिवार मासिक प्रतिव्यक्ति व्यय श्रेणी के अनुसार बेरोजगारी दरें (1999-2000)

मासिक प्रति व्यक्ति व्यय श्रेणी (रुपये)		बेरोजगारी दर (सीडीएस) श्रमिक बल की प्रतिशत	
ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी
0-225	0-300	11.31	9.61
225-255	300-350	9.62	9.67
255-300	350-425	8.12	8.20
300-340	425-500	7.46	9.20
340-380	500-575	6.56	9.20
380-420	575-665	6.18	8.63
420-570	665-775	6.48	8.19
470-525	775-915	6.14	7.18
525-615	915-1120	5.60	6.65
615-775	1120-1500	6.06	5.68
775-950	1500-1925	5.57	4.67
950 और अधिक	1925 और अधिक	5.25	4.10
सभी	सभी	7.21	7.65

स्रोत : एनएसएसओ सर्वेक्षण, 55वां चक्र (1999-00)

**निम्न वृद्धि स्थिति (दसवीं योजना अवधि में 6.5% वृद्धि) में सीडीएस
आधार पर रोजगार अवसरों का पूर्वानुमान**

मर्दे	यूनिट	1999-2000	2001-2002	2006-2007
श्रमिक बल (1.8%) प्रतिवर्ष	मिलियन	363.33	378.21	413.50
रोजगार	मिलियन	336.75	343.36	367.44
बेरोजगारों की संख्या	मिलियन	26.58	34.85	45.56
बेरोजगारी दर	प्रतिशत	7.32	9.21	11.00

**सीडीएस आधार पर सिफारिश किए गए कार्यक्रमों तथा नीतिगत परिवर्तन के साथ
निम्न विकास स्थिति में रोजगार अवसरों का पूर्वानुमान**

मर्दे	यूनिट	1999-2000	2001-2002	2006-2007
श्रमिक बल	मिलियन	363.33	378.21	413.50
रोजगार	मिलियन	336.75	343.36	375.00
बेरोजगारों की संख्या	मिलियन	26.58	34.85	38.50
बेरोजगारी दर	प्रतिशत	7.32	9.21	9.30

स्रोत: सीडीएस: चालू दैनिक स्थिति

**8% विकास प्रतिवर्ष और बहिर्वेषण औद्योगिक संस्थान के अनुसार रोजगार स्थिति
(वास्तविक नम्यता पर आधारित) (1994-2000) - सीडीएस तथा
1.8% प्रतिवर्ष श्रमिक बल वृद्धि दर)**

	यूनिट	1999- 2000\$	2001\$\$	2002\$\$	2007	2012	10वीं योजना के दौरान प्रतिवर्ष रोजगार वृद्धि
श्रमिक बल (1.8% प्रतिवर्ष वृद्धि)	मिलियन	363.33	371.52	378.21	413.50	451.53	1.8%
रोजगार** #	मिलियन	336.75	340.82	343.36	373.03	403.52	1.7%
(बेरोजगारी दर)	(%)	7.32	8.26	9.21	9.79	10.63	
बेरोजगारों की संख्या	मिलियन	26.58	30.70	34.85	40.47	48.01	3.0%

- टिप्पणी**
- ** 200-07 के दौरान जीडीपी में 8% वृद्धि दर आधारित
 - # वर्तमान दैनिक स्थिति आधार
 - \$ 1999-2000 आंकड़े एनएसएस 55वें चक्र से संबंधित हैं
 - \$\$ 2000-01 और 2001-02 के दौरान 5.2% जीडीपी वृद्धि पर आधारित

स्रोत: योजना आयोग

संलग्नक 5.15
(मिलियन रोजगार)

दसवीं योजना के दौरान क्षेत्र-वार रोजगार अवसर

क्षेत्रांक	जीडीपी वृद्धि दर 2000-01 %		जीडीपी वृद्धि दर 2001-02 %		उच्च वृद्धि (8.0%) एसजी	पूर्वांशुमानित नम्यता* 2000-02 तथा 2002-07	सीडीएस रोजगार		पूर्वांशुमानित रोजगार			रोजगार में वृद्धि दर (%)			
	व्यूई एसजी	एसजी	व्यूई एसजी	एसजी			(1993-94) (1.1.1994)	(1999-00) (1.1.2000)	रोजगार 2000-01 (1.4.2001)	रोजगार 2001-02 (1.4.2002)	रोजगार 2002-07 (1.4.2007)	1993-94 से 1999-2000	2000 से 2000-01	2001 से 2002	2002 से 2007
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. कृषि	-0.20	0.20	5.70	3.40	4.20	0.01	190.72	190.94	190.95	191.01	191.42	0.02	0.00	0.03	0.04
2. खनन तथा उत्खनन	3.30	3.70	1.40	1.10	4.70	-0.41	2.54	2.26	2.22	2.21	2.01	-1.91	-1.52	-0.46	-1.93
3. विनिर्माण	6.70	5.60	3.30	2.60	10.00	0.33	35.00	40.79	41.73	42.09	49.51	2.58	1.85	0.85	3.30
4. विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति	6.20	4.70	5.20	3.70	8.30	-0.52	1.43	1.15	1.11	1.09	0.88	-3.55	-2.44	-1.92	-4.32
5. निर्माण	6.80	5.50	2.90	2.80	8.30	0.82	11.02	14.95	15.80	16.16	22.46	5.21	4.51	2.30	6.81
6. व्यापार, होटल तथा रेस्तरां	3.80	6.90	6.30	5.80	8.00	0.62	26.88	37.54	39.56	40.99	52.22	5.72	4.28	3.62	4.96
7. परिवहन, भण्डारण तथा संचार	8.20	6.90	5.80	5.80	10.30	0.63	9.88	13.65	14.39	14.92	20.43	5.53	4.35	3.67	6.49
8. वित्तपोषण, बीमा, वास्तविक सम्पदा तथा कारोबार सेवाएं	2.90	9.10	7.50	11.10	10.00	0.64	3.37	4.62	4.96	5.32	7.25	5.40	5.82	7.11	6.40
9. समुदाय, सामाजिक तथा वैक्तिक सेवाएं	6.00	7.80	6.00	7.00	7.60	-0.25	34.98	30.84	30.09	29.57	26.86	-2.08	-1.95	-1.74	-1.90
सभी क्षेत्रांक	4.00	5.20	5.40	5.20	8.00	0.21	315.84	336.75	340.82	343.36	373.03	1.07	0.97	0.75	1.67

रोजगार में आरओजी का पूर्वांशुमान 1994-2000 के दौरा सीडीएस रोजगार पर आधारित क्षेत्रकीय नम्यता और वर्ष 2000-01 तथा 2001-02 के सम्बन्ध में 5.2% पर जीडीपी में क्षेत्रकीय वृद्धि और 2000-07 के दौरान 8% को ध्यान में रखते हुए लगाया गया है।

* 1994-2000 के दौरान सीडीएस पर आधारित देखी गई नम्यता

व्यूई तुरन्त अनुमान एड अग्रिम अनुमान एसजी विशेषतः समूह अनुमान

टिप्पणी : 1. पूर्वांशुमानित रोजगार क्षेत्रकीय रोजगार नम्यताओं और जीडीपी में क्षेत्रकीय वृद्धि पर आधारित हैं।

2. कामगार विभाजन के संबंध में 3-अंकीय डाटा के कारण मरम्मत सेवाओं के सम्बन्ध में पूरा अनुमान समायोजित नहीं किया जा सकता।

स्रोत : योजना आयोग

8 प्रतिशत वृद्धि प्रतिवर्ष तथा दसवीं योजना में प्रस्तावित नीति और कार्यक्रमों और परिवर्तित औद्योगिक संरचना के आधार पर रोजगार स्थिति

	यूनिट	1999- 2000	2001- 2002	2006- 2007	2011- 2012	प्रतिशत प्रतिवर्ष
श्रमिक बल	मिलियन	363.33	378.21	413.50	453.52	1.80
रोजगार	मिलियन	336.75	343.36	392.35	451.53	2.70
बेरोजगारी दर	(%)	7.32	9.21	5.11	0.44	
बेरोजगारों की संख्या	मिलियन	26.58	34.85	21.15	1.99	-9.50

टिप्पणी: विशेषा समूह अनुमान

* सीडीएस आधार पर

स्रोत : योजना आयोग

श्रमिक उत्पादकता में अन्तर्निहित उतार-चढ़ाव (प्रति श्रमिक उत्पादन)

(प्रतिशत प्रतिवर्षी)

	1983 to 1993-94	1993-94 to 1999-2000	पूर्वानुमानित	
			2001-2002	2006-2007
(क) 1999-2000 नम्यताओं पर आधारित				
जीडीपी वृद्धि	5.20	6.70	5.20	8.00
कार्य बल	2.70	1.07	0.98	1.67
रोजगार नम्यताएं	0.54	0.16	0.19	0.21
श्रमिक उत्पादकता	2.30	5.60	4.20	6.20
(ख) नीतियों और कार्यक्रमों में परिवर्तनों के साथ 1994-2000 नम्यताओं पर आधारित				
कार्यबल	2.70	1.07	0.98	2.70
रोजगार नम्यताएं	0.54	0.16	0.19	0.34*
श्रमिक उत्पादकता	2.30	5.60	4.20	5.20

टिप्पणी : अन्तर्निहित रोजगार नम्यता, विशेषतः कार्यक्रमों के सम्बन्ध में रोजगार सहित

स्रोत : योजना आयोग

संलग्नक 5.18

दसवीं योजना के दौरान क्षेत्रकीय रोजगार अवसरों के सृजन के अनुमान

(मिलियन)

क्षेत्रक	10वीं क्षेत्रकीय योजना में जीडीपी वृद्धि (%)	दसवीं योजना के दौरान बड़े हुए रोजगार अवसर				
		आधार रोजगार (सीडीएस) (मिलियन) 2001-2002	अनुमानित रोजगार नम्यताओं पर	कार्यक्रम और नीति आधारित	कुल वृद्धिकारी	कुल रोजगार 2007
कृषि और सम्बद्ध ग्रामीण (कार्यकलाप सहित)*	4.20	191.01 (55.63)	0.41	9.06	9.47	200.48 (51.09)
खनन और उत्खनन	4.70	2.21 (0.64)	-0.20		-0.20	2.01 (0.51)
विनिर्माण और एसएसआई प्रधानमंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम गैस, विद्युत और पानी	10.00	42.09 (12.26)	7.42	4.20	11.62	53.71 (13.70)
गैस, विद्युत और पानी	8.30	1.09 (0.32)	-0.21		-0.21	0.88 (0.22)
निर्माण	8.30	16.16 (4.71)	6.30		6.30	22.46 (5.72)
व्यापार, होटल और जलपानगृह	8.00	40.99 (11.94)	11.23		11.23	52.22 (13.28)
परिवहन, भण्डारण और संचार	10.30	14.92 (4.35)	5.51		5.51	20.43 (5.21)
वित्तीय संस्थाएं, वास्तविक सम्पदा और व्यवसाय	10.00	5.32 (1.55)	1.93		1.93	7.25 (1.84)
सामुदायिक सेवाएं	7.60	29.57 (8.61)	-2.71	3.20	0.49	30.06 (7.64)
सामाजिक और वैयक्तिक सेवाएं				1.29	2.09	2.09
सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना				0.80		
स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्व-रोजगार योजना				0.77	0.77	0.77
कुल	8.00	343.36	29.67	19.32	48.99	392.35

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल की संरचना में प्रतिशतता दर्शाते हैं।

** विस्तृत ब्यौरा संलग्नक 5.19 में दिया गया है।

व्यक्ति, वर्षा आधार पर अनुमान

स्रोत : योजना आयोग

दसवीं योजना के दौरान "कार्यक्रम सृजित" वृद्धिकारी रोजगार

(मिलियन व्यक्ति वर्ष)

(क) कृषि और सम्बद्ध	
1. तिलहनों और दालों में बदलाव	0.35
2. वर्धा-पोषित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय वाटरशेड विकास परियोजना	0.50
3. बागवानी	1.20
4. खेती पर प्रबंधन	1.25
5. कृषि क्लिनिक और बीज उत्पादन	0.15
6. ट्रैक्टर ड्राइवर्स का प्रशिक्षण और रोजगार	0.10
	————— > 3.55
(ख) कृषि वानिकी के माध्यम से देश को हरित बनाना	
1. संयुक्त वन प्रबंधन	1.50
2. औषधीय पौधों का विकास	0.50
3. बांस विकास	1.50
	————— > 3.50
(ग) बायो-मास विद्युत उत्पादन के लिए ऊर्जा बागान	
1. ऊर्जा बागान प्रोसोपिस और कसुरिना	1.22
2. इथानोल (ईख बागान से बायो ईंधन)	0.79
	————— > 2.01
(घ) ग्रामीण क्षेत्रक और एसएमई	
1. प्रधानमंत्री रोजगार योजना	1.65
2. समूह विकास	0.55
3. ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम	2.00
4. सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना	1.29
5. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	0.77
6. स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्व-रोजगार योजना	0.80
	————— > 7.06
(ङ) शिक्षा और साक्षरता	
1. शिक्षा	1.53
2. मध्याह्न भोजन	0.06
3. डीआईईटी, बीआरसी, सीआरसी, इंजिनियरी स्टाफ एसपीओ, डीपीओ	0.09
	————— > 1.70
आईसीटी विकास के माध्यम से रोजगार	0.70
स्वास्थ्य, परिवार और बाल कल्याण	0.80
स्रोत: विशेष दल की रिपोर्ट	19.32

स्रोत: विशेष दल की रिपोर्ट

**1993-94 से 1999-2000 में रोजगार नम्यताएं और दसवीं योजना के दौरान
अन्तर्निहित (सीडीएस आधार पर क्षेत्रकीय संरचना में परिवर्तन)**

क्षेत्रक	रोजगार में वृद्धि (%) 1994-2000	जीडीपी वृद्धि (%) 1994-2000	नम्यताएं 1994- 2000 *	दसवीं योजना में मानी गई नम्यताएं	
				नीतिगत परिवर्तनों के साथ, विशेषा रोजगार अवसरों सहित	नीतिगत परिवर्तनों के बिना
1. कृषि और सम्बद्ध (ग्रामीण कार्यकलापों सहित)	0.02	3.10	0.006 ****	0.23	0.01
2. खनन और उत्खनन	-1.91	4.70	-0.41	-0.41	-0.41
3. विनिर्माण	2.58	7.80	0.33	0.50	0.33
4. विद्युत, गैस और जल आपूर्ति	-3.55	6.80	-0.52	-0.52	-0.52
5. निर्माण	5.21	6.30	0.82	0.82	0.82
6. व्यापार, होटल और जलपानगृह	5.72	9.20	0.62	0.62	0.62
7. परिवहन, भण्डारण और संचार	5.53	8.70	0.63	0.63	0.63
8. वित्तपोषण, बीमा, वास्तविक सम्पदा और व्यवसाय सेवाएं	5.40	8.40	0.64	0.64	0.64
9. सामुदायिक सामाजिक और वैयक्तिक सेवाएं	-2.08	8.40	-0.25	0.04	-0.25
जोड़	1.07	6.70	0.16	0.338***	0.21**

टिप्पणी : * वास्तविक देखी गई नम्यताओं पर आधारित (1994-2000)
 ** विकास पर आधारित और नीतिगत परिवर्तनों के बिना
 *** दसवीं योजना के दौरान विकास और नीतिगत परिवर्तनों पर आधारित
 **** 0.01 के लगभग

स्रोत: योजना आयोग